

Himachal Pradesh
Jal Shakti Vibhag

NO. JSV- D.Mandi -WA-LA/ 2024
To

6650-51

Dated 11-9-24

✓ The Divisional Forest Officer,
Mandi, Distt. Mandi (HP).

Subject: --

Diversion of 0.5214 Hectare forest land in favour of Jal Shakti Vibhag for Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & its adjoining villages in GP Bir, Bari Gumanoo, Sadhyana, Sehli, Sai, Kashan, Sadoh and Tarnoh Tehsil Sadar Distt. Mandi (H.P.) within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi. HP. (Online Proposal FP/HP/WATER/140970/2021).

Reference:-

Your office letter No-RK/8488 Dated 05/01/2024

It is to inform you that in Principal approval of aforesaid work has been obtained from Government of India Integrated Sub-Office, Shimla of Regional office, Chandigarh Ministry of Environment, Forest & Climate change CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood Shimla, Himachal Pradesh. Vide letter No-

The point wise revise compliances report as under.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर		
(A)i	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा दी गई है।
ii	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 0.5214 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	0.5214 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु 5,57,622/- जमा करवा दी गई है।
iii	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट WWW.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	CAMPA Fund WWW.parivesh.nic.in ऑनलाइन माध्यम से चालान उत्पन्न कर जमा करवाई गई है।
iv	पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की गई है।
v	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सी लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-1 Clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से ही जमा की गई है।

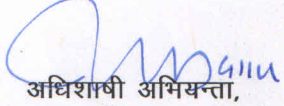
vi	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S- 1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S- 1, अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास S- 1, अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	इस मंडल के पास S- 1, अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
vii	FRA का पूर्ण अनुपालना सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निगत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	F.R.A 2006 का प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर द्वारा जारी संलग्न किया गया है। बचनवद्धता साथ संलग्न है।
(B) i	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
ii	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
iii	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 1.0428 हे० Compartment No. 53E/2/NW, DPF Chabhuan, Majwar Block, Mandi Forest Range, Mandi Forest Division, Mandi, Distt. Mandi, Himachal Pradesh में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय स्वदेशी प्रजाति को लगाया जाए तथा प्रजातियों की (Monoculture) एकल प्लांटेशन से बचा जायें।	प्रतिपूरक वनीकरण वन विभाग द्वारा दिये गये बिल के अनुसार प्रतिपूरक पौधारोपण से सम्बंधित प्रस्तावना में कुल अनुमोदित राशि रु० 866072/- है, जिसमें से प्रतिपूरक पौधारोपण राशि रु० 308450/- व एन० पी० वी० मु० रु० 557622/- को कैम्पा में जमा कर दिया गया है तथा विभागीय चार्जिज 53979.00 को सरकारी खजाने तथा जी० एस० टी० को कर सम्बंधित विभाग के हित में मु० रुपये 4212/- व 637653/- पेडों का भी जमा कर दिये गये हैं जो प्रस्तावना में अनुमोदित है। वन मण्डल अधिकारी मण्डी द्वारा जारी बचनवद्धता साथ संलग्न है।
iv	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधा रोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधा रोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के सवेचछानूसार नहीं बदलेगें।	स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधा रोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधा रोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के सवेचछानूसार नहीं बदलेगें। बचनवद्धता साथ संलग्न है।
v	नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधा रोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	यह मद उच्च कार्यालय से सम्बंधित है।
vi	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की Kml files को अपलोड करेगी।	इस प्रस्तावना में प्रत्यावर्तित वन भूमि की Kml files को अपलोड कर भूमि को उपयोग में लाया जाएगा। इसे सम्बंधित वन मण्डल अधिकारी मण्डी द्वारा जारी बचनवद्धता साथ संलग्न है।
vii	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। इसे सम्बंधित अडरटेकिंग साथ संलग्न है।
viii	मननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।

ix	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आई अरासी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।
x	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।
xi	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्तावकी ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।
xii	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।
xiii	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।
xiv	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न
xv	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगजे वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।
xvi	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य सरकार के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न
xvii	स्थानांतरित वनभूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले 4फीट उंचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।
xviii	पड़प लाइन जमीन के 1.5 मीटर नीचे बिछाई जाएगी और पड़प लाइन बिछाकर जमीन को समतल किया जाएगा।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न
xix	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।
xx	कुड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।
xxi	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।
xxii	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।
xxiii	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act] 1980 and Forest Conservation Rules] 2003 (Guidelines & Clarification), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।

xxiv	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रस्तावना की अनुपालना की बचन वद्धता साथ संलग्न है।
------	--	---

अतः यह आपके सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया इस प्रस्तावना में भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत अन्तिम स्वीकृति प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करके इस कार्यालय को भी अवगत करवाने की कृपा करें।

संलग्न :-उपरोक्त


अधिशायी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डलमण्डी,
जिला मण्डी हि0प्र0।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता जलशक्ति उपमण्डल साईंगलू को सूचनार्थ व आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधिशायी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डलमण्डी,
जिला मण्डी हि0प्र0।

STIPULATION No-A(i)

I Er.Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake that the RTGS has been done through the e-portal and payment of amounting to Rs. 3,08,450 / -only has been deposited online as Per C.A. Scheme.



Counter signed

Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-A (ii)

I Er. Raj Kumar Saini, Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P). Undertake that an amount of NPV i.e Rs. 5,57,622 / – only (Five Lakhs fifty Seven thousand and six hundred Twenty Two) only has been deposited in the ADHOC CAMPA account no. CAMPA HP 115753151171708.



Counter signed

Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-A (iii)

I Er. Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake that Payment of CAMPA Fund has been done through oneline Challan in CAMPA account.



Counter signed

Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

Undertaking-(A)-IV

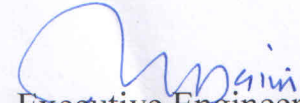
Subject: -Diversion of 0.5214 Hectare forest land in favour of Jal Shakti Vibhag for Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & its adjoining villages in GP Bir, Bari Gumanoo, Sadhyana, Sehli, Sai, Kashan, Sadoh and Tarnoh Tehsil Sadar Distt. Mandi (H.P).within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi.HP. (Online Proposal FP/HP/WATER/140970/2021).

पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)
में अपलोड की कर दी गई है।



Counter signed

Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-A (v)

I Er.Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake that Payment of C.Aand NPV Fund has been done through oneline Challan in CAMPA account.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



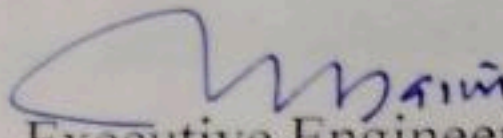
Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-A (v)

I Er. Raj Kumar Saini, Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake that there is no any FCA case is pending S-1 under this office.

Counter signed

Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.


Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

Undertaking-(A)-VII

Subject: -Diversion of 0.5214 Hectare forest land in favour of Jal Shakti Vibhag for Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & its adjoining villages in GP Bir, Bari Gumanoo, Sadhyana, Sehli, Sai, Kashan, Sadoh and Tarnoh Tehsil Sadar Distt. Mandi (H.P).within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi.HP. (Online Proposal FP/HP/WATER/140970/2021).

प्रमाणित किया जाता है कि एफ0आर0ए0 की पूर्ण अनुपालना सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाएगा।



**Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division Mandi HP**

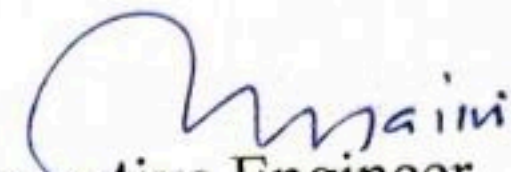
STIPULATION No-8 (i)

I Raj Kumar Saini, Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake that the forest land legal status will remain unchanged.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

Undertaking-(B)-II

Subject: -Diversion of 0.5214 Hectare forest land in favour of Jal Shakti Vibhag for Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & its adjoining villages in GP Bir, Bari Gumanoo, Sadhyana, Sehli, Sai, Kashan, Sadoh and Tarnoh Tehsil Sadar Distt. Mandi (H.P).within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi.HP. (Online Proposal FP/HP/WATER/140970/2021).

प्रमाणित किया जाता है कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवोंको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।



**Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division Mandi HP**

Undertaking-(B)-III

Subject: -Diversion of 0.5214 Hectare forest land in favour of Jal Shakti Vibhag for Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & its adjoining villages in GP Bir, Bari Gumanoo, Sadhyana, Sehli, Sai, Kashan, Sadoh and Tarnoh Tehsil Sadar Distt. Mandi (H.P).within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi.HP. (Online Proposal FP/HP/WATER/140970/2021).

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 1.0428 हे० Compartment No. 53E/2/NW, DPF Chabhuan, Majwar Block, Mandi Forest Range, Mandi Forest Division, Mandi, Distt. Mandi , Himachal Pradesh में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय स्वदेशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं प्रजातियों की (Monoculture) नहीं किया जायेगा।



**Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division Mandi HP**

Undertaking-(B)-iv

Subject: -Diversion of 0.5214 Hectare forest land in favour of Jal Shakti Vibhag for Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & its adjoining villages in GP Bir, Bari Gumanoo, Sadhyana, Sehli, Sai, Kashan, Sadoh and Tarnoh Tehsil Sadar Distt. Mandi (H.P).within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi.HP. (Online Proposal FP/HP/WATER/140970/2021).

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधा रोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के इच्छानुसार नहीं बदला जायेगा।



**Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division Mandi HP**

STIPULATION No-2 (v)

This point pertatin to Nodal office of State CAMPA.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

Undertaking-(B)-vi

Subject: -Diversion of 0.5214 Hectare forest land in favour of Jal Shakti Vibhag for Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & its adjoining villages in GP Bir, Bari Gumanoo, Sadhyana, Sehli, Sai, Kashan, Sadoh and Tarnoh Tehsil Sadar Distt. Mandi (H.P).within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi.HP. (Online Proposal FP/HP/WATER/140970/2021).

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की Kml files को अपलोड किया जायेगा।



**Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division Mandi HP**

STIPULATION No-Vii

I Er. Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P). undertake that Forest land will be used only for the specified purpose in the proposal.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



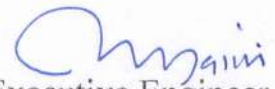
Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt. Mandi (P.H).

STIPULATION No-Viii

I Er. Raj kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi(H.P). undertake that differential amount on account of revision of rates of Net Present Value by the Honable Apex Court of india will be paid by me in lieu of 0.5214 hectare of Forest land for the Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & its adjoining villages in G.P Bir, Bari Gumanoo, Sadhyana, Sehli, Sai, Kashan and Tarnoh Tehsil Sadar Distt. Mandi (H.P).

Counter signed 

Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.


Executive Engineer,
Jal Shakti Division Thunag,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-iX

I Er. Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division,
Mandi (H.P).undertake that the work will be excute as per guide line of I.R.C.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-X

I Er. Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P). Undertake that Forest land will not be transferred / given to other agency before obtaining the prior approval from the Central government.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-Xi

I Er. Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake that layout plan of the proposal will not changed without prior approval of central Government.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-Xii

I Er.Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P). Undertake that no labour camp will be set up on the forest land and nearby land.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-xiii

I Er.Raj Kumar Saini, Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mand (H.P).undertake that Soil Moisture conservation plan will be provided if it is required and the department will provide budget as per availability of fund.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-xiv

I Er. Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mand (H.P).undertake that no additional road / Path will be constructed for carriage of materials to the proposed site.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-XV

I Er. Rajkumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi(H.P). undertake that during construction activities, the user agency will provide adequate fuel wood to labourers through State Forest Department or Forest Development Corporation or through any other legal source of alternative timber preferably alternative fuel.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-XVi

I Er. Raj kumar Saini, Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P) undertake that whenever W.L. department, require help, the department will be provide the necessary help for the development and conservation of fauna and flora and wild life in the vicinity of proposed area.


Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

Counter signed


Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.

STIPULATION No-xvii

I Er. Rajkumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake that the boundaries of the forest land will be covered with R.C.C. pillars depicting the Forward/Backward bearing & GPS Coordinates from the project cost by the user agency as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-xviii

I Er.Raj kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake that the pipe line will be laid underground with a depth of 1.50 meter. The surface will be leveled after laying of pipe line.


Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

Counter signed


Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.

STIPULATION No-XiX

I Er. Raj Kumar Saini, Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake if Environment ACT 1986 Clearance is required then it will be obtained.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-XX

I Er. Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake that garbage product during the construction of proposed scheme will be disposed-off in proper manner.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-XXi

I Er. Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake that when the leaseof 99 years will be finished then the user agency will applied to revise the lease from competent authority.

Counter signed

Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.


Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-XXii

I Er. Raj Kumar Saini, Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake that if any condition will be raised by the field office for protection of wild life and development of forest the user agency is agreed to this stipulation.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-xxiii

I Er. Raj Kumar Saini, Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P).undertake that in case of any violation of any of these conditions I shall be liable for action as per direction of Handbook of Forest (Conservation) Act- 1980 and Forest (Conservation) Rules 2003 (Guidelines& Clarification),2019 of Ministry of Environment, Forest &Climate change, Government of India.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.


Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

STIPULATION No-xxiv

I Er.Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi (H.P). undertake that if any change in Act/Article/Rules/ Court Order and instruction will be followed by the user agency.

Counter signed



Divisional Forest Officer,
Mandi Division Mandi.



Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,
Distt.Mandi (P.H).

18128			
WMC	WMC		
	Total	Net Amount	
		₹ 856072.00	
	DQ Total	₹ 856072.00	
100 XXX	100 XXX	856072.00	
	XX15/1/1708		
	Grand Total	₹ 856072.00	

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-02-2024

Agency Name.	JAL SHAKTI VIBHAG GOVT. OF HIMACHAL PRADESH
Application No.	53151171708
MoEF/SG File No.	FC/HPB/08/110/2022
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	JAL SHAKTI BHAWAN TUTIKANDI SHIMLA Shimla
Amount(In Rs)	866072/-

Amount in Words :Eight Lakh Sixty-Six Thousand and Seventy-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507053151171708 ✓ Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-02-2024

Agency Name.	JAL SHAKTI VIBHAG GOVT. OF HIMACHAL PRADESH
Application No.	53151171708
MoEF/SG File No.	FC/HPB/08/110/2022
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	JAL SHAKTI BHAWAN TUTIKANDI SHIMLA Shimla
Amount(In Rs)	866072/-

Amount in Words :Eight Lakh Sixty-Six Thousand and Seventy-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507053151171708 ✓ Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back

[Signature]
Distt. Treasury Officer
Distt. Mandi (H.P.)

27/02/2024

PAYEE MISCELLANEOUS PAYMENT REPORT (other than eSalary/ePension)

Date From 19/02/2024 To 21/02/2024

Sr No	Payee ID	Payee Name	PayOrder Dt	Bill No	Bank A/C	Net Amount
MD100-703		EE JSV DIVISION MANDI			Total	₹ 866072.00
1	S000006606	HIMACHAL PRADESH CAMPA	19/02/2024	MD100/703/0023/115328	DDO Total	₹ 866072.00
		UTRN:RB10512476229817		15XXXXXX151171708		866072.00

NICNET:HP	Grand Total	₹ 866072.00
-----------	-------------	-------------

Printed on 27/02/2024 11:50 AM

**E-CHALLAN****Government Of Himachal Pradesh**

Department of Finance

Treasures, Accounts & Lotteries

Valid upto 19-Feb-2024

Remitter Copy

HIMGRN B24B110665 Date 13-02-2024 12:45:57PM

Department Forest

BarCode



Period 13-02-2024 To 13-02-2024

DDO MDI00-814- FOREST DIVISION MANDI

Head

₹ Amount

0406-01-800-18-OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT 53979

Total/Net Amount

53979

In words Fifty Three Thousand Nine Hundred Seventy Nine

Dist. Treasur. Officer

Payee Detail

Licence/Vehicle/Permit/TIN no.

OTHER MISCELLANEOUS RECEIPTS -Departmental Charges of
LWSS Kathwari 0.5214 ha

Remitter Name:- Executive Engineer

Address:- IPH Jal Shakti Division Distt Mandi HP
Mob: 9418451197**FOR USE IN RECEIVING BANK**

Bank CIN No

HIMGRN

B24B110665

Amount ₹ 53979

Bank MANAGER, SBI MANDI

Cheque-DD-No.

21 FEB 2024

Prakash Chandra
6715109

NIC-HP

B24B110665

e-Challan (IFMS)

Form GST PMT -06 Payment Challan
(See Rule 87(2))
Challan for deposit of goods and services tax

IN: 24020200007586

Challan Generated on : 13/02/2024 12:38:52

Expiry Date : 28/02/2024

Details of Taxpayer

GSTIN: 02AAAGD1390K1ZR

E-mail Id: cXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXom

Mobile No.: 9XXXXXX4410

Name(Legal): DIVISIONAL FOREST
OFFICER MANDI

Address : XXXXXXXXXXX Himachal Pradesh,175001

Reason For Challan

Paid Vide Cheque/RTGS No.....

Reason: Any other payment

Voucher No.....

Details of Deposit (All Amount in Rs.)

Dated.....

Government	Major Head	Minor Head						E.E.
		Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total	
Government Of India	CGST(0005)	2106	-	-	-	-	2106	
	IGST(0008)	-	-	-	-	-	-	
	CESS(0009)	-	-	-	-	-	-	
	Sub-Total	2106	0	0	0	0	2106	
Himachal Pradesh	SGST(0006)	2106	-	-	-	-	2106	
Total Amount								4212
Total Amount (in words)								Rupees Four Thousand Two hundred Twelve Only

Mode of Payment

☐ E-Payment ☒ Over the Counter(OTC) ☐ NEFT / RTGS

Over The Counter

Bank (Where Cash or Instrument is proposed to be deposited) STATE BANK OF INDIA

Details of Instruments: ☐ Cash ☐ Cheque ☒ Demand Draft

Particulars of depositor

Name	
Designation/Status(Manager,partner etc)	
Signature	
Date	

Paid Challan Information

GSTIN	
Taxpayer Name	
Name of the Bank	
Amount	HR Verified for PBI - 4212 /
Bank Reference No (BRN)/UTR	Assistant Engineer
CIN	Jai Shakti Sub Division
Payment Date	Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)
Bank Ack No.	
(For Cheque / DD deposited at Bank's counter)	

2/4

FORM-III

(for projects other than linear projects and plantations)
(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

Dated Mandi, the 17.11.2023

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that 0.3274 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Jal Shakti Vibhag for Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & its adjoining villages in GP Bir, Bari, Gumanu, Sadyana, Sehli, Sai, Kashan Sadoh and Tarnoh falls within the jurisdiction of village(s) Sadoh in Tehsil Kotli. It is further certified that:

- (a) the complete process of identification and settlement of rights under the FRA, 2006 has been carried out for the entire 0.3274 Hectare of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest -dwellers, who are eligible under the FRA, 2006.
- (c) each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabha(s) of Sadoh village are enclosed as attachment I to V.
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabhas present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA, 2006.

Encl: As above.

(Arindam Chaudhary, IAS),
District Collector,
Mandi District, Mandi H.P.

Atte [Signature]
Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

Check List related to process of settlement of claims (individual/community) under FRA 2006		
1.	Muhal Name	सकौह
2.	Total population of Muhal	878
3.	Gram Panchayat name	सकौह
4.	Total population of Gram Panchayat	1966
5.	Date of Proclamation	23-02-2014
6.	Date of FRC meeting (Annexure-I)	8-12-2014
7.	Number of days between date of proclamation and date of meeting of FRC	90
8.	Date of meeting of Muhal Sabha (Annexure-II)	11-9-2021
9.	Quorum at the time of Muhal Sabha meeting	301/500
10.	Date of meeting of SDLC (Annexure-III)	
11.	Date of Muhal Sabha for issuance of Annexure-V (If applicable)	24-04-2022
12.	Quorum of Muhal Sabha for issuance of Annexure-V (If applicable)	152/586
13.	Annexure V- Land details (If applicable)	0.3274

सकौह
ग्राम पंचायत सकौह
विकास एवं सुदर मण्डी (हि.प्र.)

Attested
Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

Annexure-1

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा सदीह

ग्राम पंचायत सदीह

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 8-12-2014

प्रस्ताव संख्या 3

08-12-2014

वन अधिकार समिति मुहाल सभा सदीह की बैठक आज दिनांक 08-12-2014 को 11:00 बजे सदीह

मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के लिए दावे प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन:-

सही दावों का व्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का व्यौरा
—	—	—	—

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा में इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
—	—

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है:

या

मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई बाजिब उल अर्ज नक्शा वर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान सदीह
दिनांक 08-12-2014

सचिव
वन अधिकार समिति

अध्यक्ष
खण्ड अधिकार समिति
खण्ड अधिकार समिति 0 गोडसी
मुहाल सभा (दि. 08-12-2014)
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड
हिमाचल प्रदेश।

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा का नाम सदोह
 ग्राम पंचायत का नाम सदोह
 मुहाल सभा सदस्य संख्या 500
 उपस्थित सदस्य संख्या 30/1500

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 11-09-2021प्रस्ताव संख्या: 03

मुहाल सभा सदोह की बैठक आज दिनांक 11-09-2021 को 11 बजे सदोह स्थान श्री/श्रीमती दलीप सिंह की अध्यक्षता में की गई व उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है, जिसमें 2441 मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस मुहाल की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त हुए। गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के र प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन:-

सही दावों का व्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का व्यौरा
—	—	<u>2154</u>	—

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इस उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।
 उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं माना गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
—	<u>2154</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।
 इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल सदोह में कोई भी वन अधिकार का दावा नहीं हुआ।
 वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई जाजिय उल अर्ज नवशा वर्तन एवं वन बंदोबस्त रि वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों के दावे को किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान सदोह
 दिनांक 11-09-2021

[Signature]
 प्रमुख सचिव
 मुहाल सभा सदोह
 ग्राम पंचायत सदोह वि.

Attended

[Signature]
 Assistant Engineer
 Jai Shakti Sub Division
 Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

Annexure-III

**OFFICE OF THE SDO (CIVIL), KOTLI MANDI
DISTRICT MANDI HP.**

Proceeding of the meeting of the sub Division Level committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Mandi Kotli Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Aseem Sood SDO (Civil), Kotli Mandi on 10.05.2023 at 12:00 P.M at Kotli in which the applicant(s) of Sadoh Gram Sabha, claiming rights in FRC Sadoh forest area(s) under FRA, 2006 duly processed and recommend by Sadoh Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of the following applicants were found to be in order and recommended for admission to the District Level Committee:-

Sr. No	Name of the Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.	_____	NA	_____
2.	_____	NA	_____

Claims of the Following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of the Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.	_____	NA	_____
2.	_____	NA	_____

AS informed by Sadoh Gram Sabha, no application was received claiming right Sadoh Forest area.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the Community right of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the forest settlement report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, National parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal, Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place:- Kotli

Date:- 10/5/2023

SDO(Civil)-Cum-Chairman:
SDLC Kotli District Mandi H.P.

Attested
Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

Annexure-V

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा सदोह

विकास खण्ड सर जिला मण्डी (हि.प्र.)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 24/04/2022

गणपूर्ति 152/588

प्रस्ताव संख्या 12

विषय- जल शक्ति (विभाग/संस्था को उत्पादक जल योजना कवडी के
निर्माण हेतु महाल सदोह जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.3274 ha हेक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा सदोह की बैठक आज दिनांक 24-04-2022 को 11 बजे स्थान सदोह
में की गई जिसमें जल शक्ति विभाग/संस्था को उत्पादक जल योजना कवडी के
निर्माण हेतु सदोह जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.3274 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग
के मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

उक्त चर्चा में उपस्थित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद निर्णय
से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006
के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त
अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा
प्रस्तावित 0.3274 हेक्टेयर वन भूमि को उत्पादक जल योजना कवडी के निर्माण
हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा सदोह की सहमति दी जाती है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई बाजिब उल अर्ज नक्शा दर्ज एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों
एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के
मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान सदोह

दिनांक 24-04-2022

आधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

साक्षि
ग्राम प्रधान सदोह
श.प्र. सर जिला मण्डी (हि.प्र.)

Attested
Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
गा0प0 सदोह, ता0 कोटली
जिला मण्डी (हि0प्र0)

कार्यवाही प्रपत्र

आज दिनांक 11-09-2021 को FRA-2006 के अन्तर्गत मुहाल सदोह की ग्राम सभा बैठक श्री दलीप सिंह जी की अध्यक्षता में प्रातः 11:00 बजे गांव सदोह में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति 301/500 रही। बैठक का कोरम दोपहर 2:00 PM बजे पूर्ण हुआ तथा बैठक का कोरम पूर्ण होने पर निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई।

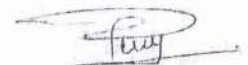
प्रस्ताव संख्या -03:- उठाऊ पेय जल योजना कठवाड़ी के संवर्धन व निर्माण के लिए मुहाल सदोह में प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र में प्रस्तावित-0.3274 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने बारे।

ग्राम सभा सदोह की बैठक आज दिनांक 11-09-2021 को प्रातः 11:00 am बजे स्थान सदोह में की गयी जिसमें उठाऊ पेयजल योजना कठवाड़ी के संवर्धन व निर्माण के लिए जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित - 0.3274 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि में प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता अधिनियम -2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व सहमति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे से सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा प्रस्तावित- 0.3274 हैक्टेयर वन भूमि को "उठाऊ पेयजल योजना कठवाड़ी के संवर्धन व निर्माण उपयोग के लिए ग्राम सभा सदोह की सहमती प्रदान की जाती है।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है।



सहायक

ग्राम वन्यता मंडल

बिकाट 4-1-144 मंडी (हि.प्र.)

Attested



Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

गाले दिनांक 11-9-11 वृत्त अधिकार सहमिति एवं
मुद्दाल सभा की बैठक प्रधान दलीप सिंह की
अध्यक्षता में हुई जिसमें सख्त दलनी सराफा ने
30/555 गांव लिखा और लिखे निम्न प्रस्ताव
पास किए।

- (1) प्रस्ताव सराफा नं० - 1
(1) जलरा बलह पुराने से कुवाड़ा पम्प हाऊस तथा बलह
तक रोड ना होने से पम्प हाऊस को सामान
ले जाने में दिक्कत होती है यह रोड निकलाना बहुत
जरूरी है वृत्त अधिकार सहमिति इसको सर्व समिति से
निर्णय करने पास करके मुद्दाल सभा इसकी अनुमति
के लिए पास करती है।

1	दलीप सिंह	—	दलीप — प्रधान
2	कुशवा देवी		Kushwa Devi — सदस्य
3	सुरेश		सुरेश Ram — do
4	सरोज कुमारी		Saroj Kumari — do
5	कुशवा देवी		Kushwa Devi — do
6	रमप सिंह		Ramp Singh — do
7	जयदेव		Jaydev — do
8	समन्वयक		Samantvak — do
9	दलीप सिंह		Dalip Singh — do
10	बुद्धि सिंह		Buddhi Singh — do
11	भीरव राम		Bhirav Ram — do
12	सख्त देवी		Sakht Devi — do
13	राजेश कुमार		Rajesh Kumar — do
14	गगना कुमारी		Gagana Kumari — do
15			

11-9-11

गांव

Assisted
Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

1	मीरा देवी	काठवाहर	मीरा देवी
2	उर्मिला देवी	-do-	उर्मिला देवी
3	रेखा देवी	-do-	रेखा देवी
4	वीपिन्द्रा देवी	-do-	वीपिन्द्रा देवी
5	पद्म देवी	काठवाहर	पद्म देवी
6	प्रमोदश्रीतमराग	-do-	प्रमोदश्रीतमराग
7	जयश्री	-do-	जयश्री
8	जुद्धा देवी	-do-	जुद्धा देवी
9	लता देवी	-do-	लता देवी
10	किरना देवी	-do-	किरना देवी
11	Deepa Kumari	-do-	Deepa Kumari
12	दुर्गा देवी	-do-	दुर्गा देवी
13	Pankaj Thakur	-do-	Pankaj Thakur
14	Shakuntla Thakur	-do-	शकुन्तला देवी
15	रमेश्वर	-do-	रमेश्वर
16	कमली देवी	-do-	कमली देवी
17	कमला देवी	-do-	कमला देवी
18	भूमा देवी	-do-	भूमा देवी
19	लता ठाकुर	-do-	लता ठाकुर
20	वर्मा देवी	-do-	वर्मा देवी
21	ललिता	-do-	ललिता
22	नवदा देवी	-do-	नवदा देवी
23	निजाराग	-do-	निजाराग
24	चमा देवी	-do-	चमा देवी
25	कृष्णा देवी	-do-	कृष्णा देवी
26	हम / रमेश	-do-	हम / रमेश
27	अश्विनी देवी	-do-	अश्विनी देवी
28	संजय कुमार	-do-	संजय कुमार
29	नवदा	-do-	नवदा
30	Lalit Janyal	काठवाहर	ललित

34	जिंदान सिंह	कटवाहर	Gulab Singh
35	Bhawan Singh	-do-	Bhawan Singh
36	जोना चन्द S/O B	जलम	Jan Chw
37	गुलाब सिंह	-do-	Gulab Singh
38	शेरामिह	कटवाहर	शेरामिह
39	हरम राज	-do-	Harman Singh
40	ललिता कर्मा	-do-	ललिता
41	नवकाशी	-do-	नवकाशी
42	पुष्पा देवी	-do-	पुष्पा देवी
43	प्रोमीला देवी	-do-	प्रोमीला देवी
44	शापरी देवी	-do-	शापरी देवी
45	धनी देवी	जलम	Dhani
46	लाल सिंह	कटवाहर	Lal Singh
47	खेरव राज	-do-	खेरव राज
48	जोना देवी	-do-	जोना देवी
49	सीता देवी	-do-	सीता
50	बापाल सिंह	-do-	Bapal Singh
51	रेशम लाल	कटवाहर	Resha
52	अंजु	-do-	Anju
53	भागी चन्द	-do-	Bhagyal
54	रमारा राम	-do-	रमारा
55	पुष्पा देवी	-do-	पुष्पा
56	सुरेश कुमार	-do-	सुरेश कुमार
57	रमा देवी	-do-	रमा देवी
58	कुन्द लाल	-do-	कुन्द लाल
59	कान्ता देवी	-do-	Kanta D
60	सीमा देवी	-do-	Seema Dev
61	राजेश कुमार	-do-	राजेश कुमार
62	मनोरमा	-do-	Mam
63	दुहाल	-do-	Dahal

Attended

Assistant Engineer

Jal Shakti Sub Division

Saigal, Distt. Mandi (H.P.)

66	जीतेन	जलेश	Jatian
67	ओम चन्द	-da-	am chand
68	दे दे लोप सिंह	-da-	De De Singh
69	रेना देवी	-da-	Reena Devi
70	सुकन्या देवी	-da-	Sukanya Devi
71	भूप सिंह	-da-	भूप सिंह
72	स्वीमी देवी	-da-	स्वीमी देवी
73	बागना लकुर	-da-	Gagan
74	सरोज देवी	-da-	सरोज देवी
75	दीपक ठाकुर	-da-	Deepak Thakur
76	बन्धना देवी	-da-	Bandha Devi
77	दुर्गा देवी	-da-	दुर्गा देवी
78	नीर्मला देवी	-da-	निर्मला देवी
79	जय दीशचन्द	-da-	जय दीशचन्द
80	सुफली देवी	डागू	सुफली देवी
81	गोपाल सिंह	दा	गोपाल सिंह
82	तारा देवी	वन्ह	तारा देवी
83	नीलम ठाकुर	दा	Neelam Thakur
84	मना देवी	-da-	मना देवी
85	कान्ना देवी	-da-	कान्ना देवी
86	भीखू देवी	-da-	भीखू देवी
87	मांचली देवी	-da-	मांचली देवी
88	चैत्री देवी	कप्पाह	चैत्री देवी
89	पुनम	वन्ह	पुनम
90	दुर्गा देवी	-da-	दुर्गा देवी
91	दुर्गा देवी	-da-	दुर्गा देवी
92	राम ठाकुर	-da-	राम ठाकुर
93	शोभा राम	-da-	शोभा राम
94	मिन्ता देवी	-da-	मिन्ता देवी

Assistant Engineer

Jal Shakti Sub Division

Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

97	पुष्पा देवी	गोप	Pooja Devi
98	पुष्पा देवी	- do -	पुष्पा
99	सुमाल देवी	- do -	सुमाल
100	बालू सिंह	- do -	बालू सिंह
101	बादी देवी	- do -	Badi Devi
102	कोशायला देवी	- do -	कोशायला दे
103	कादल सिंह	- do -	Kadla Singh
104	मधरा देवी	- do -	मधरा देवी
105	जय राम	सुवाल	जय राम
106	माचली देवी	- do -	माचली देवी
107	मीना देवी	गोप	मीना देवी
108	मिचडी देवी	- do -	मिचडी देवी
109	हेम सिंह	- do -	हेम सिंह
110	देव सन्त	- do -	देव सन्त
111	कुमा देवी	- do -	कुमा देवी
112	शेर सिंह	- do -	Shersingh
113	सकुलला देवी	- do -	सकुलला देवी
114	लाल सिंह	- do -	Lal Singh
115	हिमा देवी	- do -	Hima Devi
116	शाला देवी	- do -	शाला देवी
117	निना देवी	- do -	Neena D
118	अदिलया देवी	- do -	Adilaya
119	लला देवी	- do -	Lala Devi
120	पुष्पा देवी	- do -	Pushpa
121	रिता देवी	- do -	Rita Devi
122	बादरी देवी	- do -	बादरी देवी
123	रविन्द्र कुमार	- do -	Ramندر
124	जयल देवी	- do -	जयल देवी
	जान प्रिय		

Attested

Assistant Engineer

Jal Shakti Sub Division

Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

गोल

128	मुदर मनी	वठ	
129	सत्या देवी	- do -	Salga Devi
130	पूरा देवी	- do -	Pura Devi
131	सुनील कुमार	- do -	Sunil Kumar
132	दया देवी	- सेवाग	Daya
133	हिमा देवी	- do -	
134	शोभा देवी	- do -	Shoba Devi
135	सुनील कुमार	- do -	Sunil Kumar
136	हार्म पाल	- do -	Harm Pal
137	डिवि	- do -	Divi
138	मुपन कुमार	- do -	Mupen Kumar
139	नवदा देवी	- do -	Narvada
140	विमला देवी	- do -	Vimala Devi
141	मोरा देवी	- do -	Mora Devi
142	सुन्दर देवी	- do -	Sundera Devi
143	किरण कुमार	- do -	Kiran Kumar
144	चन्द्र मनी	वठ	Chandmani
145	इन्द्रा देवी	- do -	Indra Devi
146	विश्वा नाथ	- do -	Vishwanath
147	डमिला देवी	- do -	Damila Devi
148	शेर सिंह	- do -	Shera Singh
149	लाल सिंह	डाल	Lal Singh
150	गोदा वरी	- do -	Godavari
151	चैतन कुमार	वठ	Chaitan Kumar
152	सुनील कुमार	- do -	Sunil Kumar
153	आरती देवी	- do -	Arati Devi
154	दुर्गा देवी	डाल	Durga Devi

Attested

157.	श्यामा कुमारी	शैलरा	आशा कुमारी
158	रोशनी देवी	"	Rashmi Devi
159	जशोदा देवी	"	Jashoda Devi
160	रक्षा देवी	"	Raksha Devi
161	रोशन लाल	"	Roshan Lal
162	राम कली देवी	"	Ram Kali
163	नीला देवी	"	Neela Devi
164	नरेन्द्र देवी	"	Narendra Devi
165	मुरारी लाल	"	Murari Lal
166	नरेन्द्र कुमार	"	Narendra Kumar
167	नागेन्द्र देवी	"	Nagendra
168.	मूषा देवी	"	Musha Devi
169.	हंसा देवी	"	Hansa Devi
170	लाल सिंह	"	Lal Singh
171	देवी देवी देवी	"	Devi Devi
172	कमल मिश्रा	"	Kamal Mishra
173	पुष्पा देवी	"	Pushpa Devi
174	देश राज	"	Desha Raj
175	नरेश कुमार	"	NARESH kumar
176	सिद्ध मल	"	Siddh Mal
177	निर्मला देवी	"	Nirmala Devi
178	लता देवी	"	Lata Devi
179	सुती देवी	"	Sooti Devi
180	हम सिंह	"	Ham Singh
181	हिमला देवी	"	Himla Devi
182	पवन कुमार	"	Pawan Kumar
183	गोपाल सिंह	"	Gopale
184	विमला देवी	"	Vimla Devi
185	मधरा देवी	"	Madhara Devi

Assisted

गांव

187	मीरवम देव	वर्ग	
188	अनिल कुमार	"	
189	सुरिता कुमारी	"	
190	कला देवी	3/3 वर्ग	
191	सुरिता देवी	"	
192	पुला कुमारी	वर्ग	
193	ठापा ल सिंह	"	
194	इश्वराम	"	
195	कर बल	"	
196	कृष्ण देवी	गांव फ्लासी	
197		"	
198	हिमा देवी	"	
199	Ritesh	"	
200	जिन्दू राम	"	
201	पुष्पा देवी	"	
202	मीन सिंह	चौक	
203	हिरदा राम	"	
204	शिता देवी	"	
205	मारा चन्द	"	
206	सोम चन्द	"	
207	अमर सिंह	"	
208	नीला देवी	"	
209	निशा देवी	"	
210	दिला राम	"	
211	निर्मला देवी	"	
212	सावित्री देवी	"	
213	सावित्री देवी	"	

Assistant Engineer

Jal Shakti Sub Division

Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

86

गांव

सदीह

214	नरेश्वर सिंह	11	बुद्धा
215	विद्या देवी	11	चमरा
216	चैत राम	11	11
217	सीता देवी	11	11
218	बिना देवी	11	11
219	अमरी देवी	11	11
220	कला देवी	11	11
221	भूती देवी	11	11
222	चन्द्रा वती	11	11
223	सीता लुम्बा	11	11
224	सीता देवी	31	Sheela
225	दुर्गा दास	11	दुर्गा देवी
226	मोहनी देवी	11	मोहन
227	गोविन्द राम	11	Govind
228	मीरा देवी	11	Meera
229	रमा देवी	11	Rama de
230	पिंपरी देवी	11	Pimpri
231	बिना देवी	11	बिना देवी
232	सुख चन्द	11	सुख चन्द
233	सुख राम	11	सुख राम
234	रमा देवी	11	रमा देवी
235	माधुरा देवी	11	माधुरा देवी
236	गाली	11	गाली
237	पेलमा	11	पेलमा
238	पुष्पा चन्द	11	पुष्पा चन्द
239	Achhal Singh	11	Achhal Singh
240	रमा देवी	11	रमा देवी
241	पुनम देवी	11	पुनम देवी
242	पुनम देवी	11	पुनम देवी
243	REEN	11	REEN

Assistant Engineer

Jai Shakti Sub Division

Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

मांझ
सदा ३

245	पद्मा देवी	11	पद्मा देवी
246	कमला देवी	11	कमला देवी
247	मोहिनी देवी	11	मोहिनी देवी
248	चैत्री देवी	11	चैत्री देवी
249	चिता देवी	11	चिता देवी
250	सोमा देवी	11	Soma Dewi
251	नीला देवी	11	नीला देवी
252	नीरा देवी	11	नीरा देवी
253	पुर्णि देवी	11	पुर्णि देवी
254	कमला देवी	11	कमला देवी
255	सत्या देवी	11	सत्या देवी
256	देवता राम	11	देवता राम
258	मोहन मूषण	11	मोहन मूषण
259	शक्ति सिंह	11	शक्ति सिंह
260	दुर्गा-चन्द	11	दुर्गा-चन्द
261	कमल	11	कमल
262	अमिता देवी	11	अमिता देवी
263	संगीता देवी	11	संगीता देवी
264	जयशोधा	11	जयशोधा
265	मोहन सिंह	11	मोहन सिंह
266	सरस्वती देवी	11	सरस्वती देवी
267	अलका चन्द	11	अलका चन्द
268	राम लाली	11	राम लाली
269	पुष्पा देवी	11	पुष्पा देवी
270	पुष्पा देवी	11	पुष्पा देवी

Attested


Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

272	गोपाल सिंह	//	
273	दिनेश	//	
274	गुंडी सिंह	//	
275	देव कान-9	//	
276	रेशनी देवी	//	
		//	
277	लक्ष्म राज	//	लेख 2
278	Rajesh Kumar	//	Rajesh Kumar
279	Sanyas Phalun	//	Pay
280	रजबी	//	Rajai
281	नीला देवी	//	नीला
282	पत्नी राम	//	Dev 1
283	फिरन चन्द	//	विश्वनाथ
284	मोहन सिंह	//	विश्वनाथ
285	Ramdev Deva	//	Dev 2
286	मेरुना देवी	//	Dev 3
287	फिरना देवी	//	
288	जयवली देवी	//	
289	जर्मिला देवी	//	3
290	वबली देवी	//	B
291	मंगल राम	//	
		//	
292	रीता देवी	//	रिता
293	सवित्री	//	सावि
		//	
294	देवकी देवी	//	
		//	
295	साया राम	//	साया
296	राजवन्ता	//	Raj
297	धर्मेश माल	//	धर्मेश
298	राम सिंह	//	राम

Attested

संदर्भ

299	माता देवी	॥	सत्या देवी
300	सत्या देवी	॥	मीना देवी
301	मीना देवी	॥	

प्रमाण संख्या-2 : - लिंग रोड के शमशाण घाट तांदी के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा मावाण से शमशाण घाट तांदी (प्रा. पा. दृशाली भावाण के पास से) सडक निर्माण हेतु महल संदाह वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-1150 Ha. (हैक्टेयर) वन भुमी के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमती प्रदान करने और /

प्रमाण संख्या-3 : - उठाऊ पेय जल योजना कच्ची व

इसके साथ के गाँव ग्राम पंचायत बि. काडी गुमाणु सदयान, सेठली, साई, कसाण, संदाह और तरौह के संवर्धन व निर्माण हेतु महल संदाह, लसवाई रोड, जलान व कुटली में प्रस्तावित वन भुमी हस्तान्तरित करने के बारे में FRA-2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के बारे में वन भुमी का जल शक्ति विभाग का हस्तान्तरण हेतु /

2 - उपरोक्त उठाऊ पेय जल योजना में वन भुमी प्रस्तावित महल संदाह / 34 रक्सरा न. 448/1 रकबा तांदी 4-00-00 बिघा 0.3238 है, जल संध संचयन, सम्प गैल व पम्प हाउस, रक्सरा न. 448/3 रकबा तांदी 0-00-18 0-0036 है. पाई लाईन किता 2 रकबा तांदी 4-0-18 (0-3274) है. (1) ग्रामलगा उपरोक्त उठाऊ पेय जल प्रस्तावित वन भुमी के हस्तान्तरित करने के लिए जल शक्ति विभाग का FRA-2006 अधिनियम प्रमाण पत्र हेतु /

Noted

50

जिले प्रस्ताव संख्या 1 में सिडम डालरा, बरह, जल,
डवाडा निर्माण प्रस्तावित हलान्तरीत मुभी 0-8761 है,

प्रस्ताव नं-2 : - लिंक रोड (सिडम) भवाण से समेशांग के
तोंदी, प्रस्तावित मुभी 0-1150 है, - बरह जिला कार्यालय

प्रस्ताव नं-3 उडा उ, पेय जल योजना, कठवाडा, जल

पंचायत निर, बड़ी गुमाण लक्षणा से हला रोड, कसाण
से दाह आगे लाना के लिए वन मुभी हलान्तरीत

प्रस्तावित महाल सरोह की कुल मुभी 8-1-16 विह
वन मुभी के उपयोग के बाद के विस्तरीत चर्चा की
गई /

सभी ग्राहकों को व उपरोक्त तिन प्रस्ताव के को
वन मुभी के सही उपयोग का समझा दिये व वन
के प्रस्ताव आगुहा हलान्तरीत करने के लिए सहमत

ग्राहकों को इस बैठक के अनुमति गी जाती व वन
परम्परागत वन निवासी आदिनियम 2006 के आर्गने के मुधि
के दावा के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा आदिनियम 2
के तहत सारी सुविधा पूर्ण की गई करीब उपरोक्त

प्रस्ताव न-1, प्रस्ताव न-2 करीब प्रस्ताव न-3 में दशा
गई मुभी का ग्राहकों - महाल सरोह सरोह की सहम
ती जाती है /

सुबोधन :- महाल सरोह के अधिकारी/शां पं. ज
काब सरकारी होकर कुवाड कर वगैरे के अधिकारी
नहीं रहेगे। केरी अब FIRM का दला 4
अधिकारी वन अधिकार समिति

Attested

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saugor, Distt. Mandi (H.P.)

ग्राम पंचायत सरोह
बिनास खंड सदर मण्डी (हि.प्र.)



कार्यालय ग्राम पंचायत सदोह, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी

(हि० प्र०)

कार्यवाही प्रपत्र

आज दिनांक 24-04-2022 को ग्राम सभा सदोह की ग्राम सभा की बैठक प्रधान श्री देवी चन्द जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें उपस्थिति 152/ 586 रही व निम्न कार्यवाही अमल में लाई गयी।

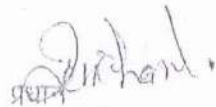
प्रस्ताव संख्या 12 :- उठाऊ पेय जल योजना कठवाडी व इसके साथ के गांव के संवर्धन व निर्माण हेतु मुहाल सदोह, लस्वाई खड्ड, जलौन में प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित करने के लिए NOC जारी करने बारे।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि FRA-2006 के अन्तर्गत उठाऊ पेयजल योजना के संवर्धन व निर्माण हेतु ग्राम सभा से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) बांछित है। अतः इस पर विचार विमर्श किया जावे।

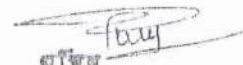
विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से पारित हुआ कि FRA-2006 के अन्तर्गत उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु ग्राम सभा से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाना उचित व जनहित में है।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नकल कार्यवाही असल अनुसार सही है।


प्रधान

ग्राम पंचायत सदोह
खि०ख० सदर जिला मण्डी (हि०प्र०)


साक्षि

ग्राम पंचायत सदोह
विकास खण्ड सदर मण्डी (हि.प्र.)




Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

FORM-III

(for projects other than linear projects and plantations)
(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

Dated Mandi, the 17.11.2023

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] It is certified that 0.1094 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Jal Shakti Vibhag for Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & its adjoining villages in GP Bir, Bari, Gumanu, Sadyana, Sehli, Sai, Kashan Sadoh and Tarnoh falls within the jurisdiction of village(s) Jaloun in Tehsil Kotli. It is further certified that:

- the complete process of Identification and settlement of rights under the FRA, 2006 has been carried out for the entire 0.1094 Hectare of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest-dwellers, who are eligible under the FRA, 2006.
- each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabha(s) of Jaloun village are enclosed as attachment I to V.
- the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabhas present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;
- the rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA, 2006.

Encl: As above.

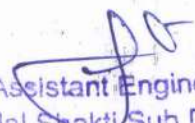
(Arindam Chaudhary, IAS),
District Collector,
Mandi District, Mandi H.P.

Attended

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

Check List related to process of settlement of claims (individual/community) under FRA 2006		
1.	Muhal Name	जलौव
2.	Total population of Muhal	834
3.	Gram Panchayat name	सदोह
4.	Total population of Gram Panchayat	1966
5.	Date of Proclamation	7-09-2014
6.	Date of FRC meeting (Annexure-I)	10-12-2014
7.	Number of days between date of proclamation and date of meeting of FRC	90
8.	Date of meeting of Muhal Sabha (Annexure-II)	5-04-2022
9.	Quorum at the time of Muhal Sabha meeting	205/478
10.	Date of meeting of SDLC (Annexure-III)	
11.	Date of Muhal Sabha for issuance of Annexure-V (If applicable)	24-04-2022
12.	Quorum of Muhal Sabha for issuance of Annexure-V (If applicable)	152/586
13.	Annexure V- Land details (If applicable)	0.1094 Hect.

Attested

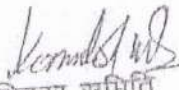

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

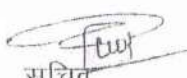

ग्राम पंचायत सदोह
विकास खाण्ड संवर मण्डी (हि.प्र.)

वन अधिकार समिति, जलौण
मुहाल सभा, जलौण
ग्राम पंचायत, सदोह

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सदोह के अंतर्गत मुहाल जलौण में वन अधिकार समिति का गठन दिनांक 07-9-2019 को किया जा चुका है। अतः इस मुहाल के अंतर्गत वन अधिकार से सम्बंधित कोई व्यक्ति दावा या आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता है तो गठन दिनांक से 90 दिन के भीतर पंचायत सचिव के पास प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष 
अध्यक्ष वन अधिकार समिति
वन अधिकार समिति, त0 कोडली
मुहाल सभा जलौण (H.P.)


सचिव
ग्राम पंचायत सदोह
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा जलौण




Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

Annexure-1

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006
वन अधिकार समिति

मुहाल सभा जलौग
ग्राम पंचायत सदीह

प्रतिलिपि प्रस्ताव
दिनांक 10-12-14

प्रस्ताव संख्या 5

वन अधिकार समिति मुहाल सभा जलौग की बैठक आज दिनांक 10-12-14 को 11:35 बजे जलौग
मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन
अधिकारों के लिए दावे प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के
साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन:-

सही दावों का ब्योरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का ब्योरा
—	—	<u>शुभ्य</u>	—

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में
से निम्नलिखित पात्रों का दावा निम्नानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
—	<u>शुभ्य</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।
या
मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

बजट-नक्शा के दौरान तैयार की गई वाजिव उल अर्ज नक्शा चर्चन एवं वन कन्सर्वेशन रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों
एवं सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के
मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान (जलौग)
दिनांक 10/12/2014

राशि ...
ग्राम सभापति ...
वि. वन अधिकार समिति (वि.प्र.)

...

अध्यक्ष Komal
वन अधिकार समिति
ग्राम सभा
ग्राम पंचायत सदीह, तौ कोटली
जिला मण्डी (हि.प्र.)
विकास खण्ड ...
हिमाचल प्रदेश।

...
Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

**OFFICE OF THE SDO (CIVIL), KOTLI MANDI
DISTRICT MANDI HP.**

Proceeding of the meeting of the sub Division Level committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Mandi Kotli Sub-Division constituted under FRA,2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Aseem Sood SDO (Civil), Kotli Mandi on 10.05.2023 at 12:00 P.M at Kotli in which the applicant(s) of Sadoh Gram Sabha, claiming rights in FRC Jaloun forest area(s) under FRA,2006 duly processed and recommend by Sadoh Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of the following applicants were found to be in order and recommended for admission to the District Level Committee:-

Sr. No	Name of the Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
1	_____	NA	_____
2	_____	NA	_____

Claims of the Following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of the Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
1	_____	NA	_____
2	_____	NA	_____

AS informed by Sadoh Gram Sabha, no application was received claiming right Jaloun Forest area.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the Community right of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the forest settlement report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, National parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal, Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place:- Kotali

Date:- 10/5/2023

SDO(Civil) Cum-Chairman SDLC/Kotli
SDLC Kotli District Mandi H.P.

A. K. Sood

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा का नाम जलोरा
ग्राम पंचायत का नाम सदा
मुहाल सभा सदस्य संख्या 478
उपस्थित सदस्य संख्या 206

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 5/04/2022

प्रस्ताव संख्या 1

मुहाल सभा जलोरा की बैठक आज दिनांक 5/04/2022 को 11.00 बजे जलोरा स्थान में श्री/श्रीमती जलोरा की अध्यक्षता में की गई व उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है, जिसमें जलोरा मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त हुए। गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन:-

सहा दावों का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वारी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का ब्यौरा
—	—	<u>सदा</u>	—

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वारी के नाम
—	<u>सदा</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल जलोरा में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब डल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों के दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएं वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान
दिनांक

जलोरा
5/04/2022

सदा
पंचायत सचिव
मुहाल सभा जलोरा
ग्राम पंचायत सदा

Attested

Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

Annexure-V

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा सदोह

विकास खण्ड सदर जिला मण्डी (हि.प्र.)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 24/04/2022

पत्रांक 152/586

प्रस्ताव संख्या 12

विषय- जल सक्ति (विभाग/संस्था को उत्तर प्रदेश जल योजना कठवाड़ी)
निर्माण हेतु जलोबा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित (0.1094 ha.) हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा जलोबा की बैठक आज दिनांक 24/04/2022 को वजे स्थान
में की गई जिसमें जल सक्ति विभाग/संस्था को उत्तर प्रदेश जल योजना कठवाड़ी
निर्माण हेतु जलोबा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित (0.1094 ha.) हैक्टयर वन भूमि के उपयोग
के मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव को लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.1094 हैक्टयर वन भूमि को उत्तर प्रदेश जल योजना कठवाड़ी के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा सदोह की सहमति दी जाती है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिव उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएं वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान जलोबा

दिनांक 24/04/2022

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

सदोह
ग्राम वनाधिकार सदोह
ज.प्र. सदर वि. मण्डी (हि.प्र.)

अध्यक्ष Kamlesh
वन अधिकार समिति
ग्रामो 0 सदोह, तह कोटली
जिला मण्डी (हि.प्र.)

Amesh

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

कार्यवाही प्रपत्र

आज दिनांक 05-04-2022 को FRA-2006 के अन्तर्गत मुहाल जलौन की ग्राम सभा बैठक श्री कमलेश कुमार जी की अध्यक्षता में प्रातः 11:00 बजे गांव जलौन में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति 206 / 478 रही। बैठक का कोरम दोपहर 2:00 PM बजे पूर्ण हुआ तथा बैठक का कोरम पूर्ण होने पर निम्न कार्यवाही अग्रसर में लाई गई।

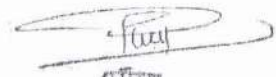
प्रस्ताव संख्या -01:- उठाऊ पेय जल योजना कठवाडी के संवर्धन व निर्माण के लिए मुहाल जलौन में प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र में प्रस्तावित-0.1094 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने बारे।

ग्राम सभा जलौन की बैठक आज दिनांक 05-04-2022 को प्रातः 11:00 am बजे स्थान ^{सदर} में की गयी जिसमें उठाऊ पेयजल योजना कठवाडी के संवर्धन व निर्माण के लिए जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित - 0.1094 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि में प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता अधिनियम -2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व सहमति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे से सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा प्रस्तावित- 0.1094 हैक्टेयर वन भूमि को "उठाऊ पेयजल योजना कठवाडी के संवर्धन व निर्माण उपयोग के लिए ग्राम सभा जलौन की सहमती प्रदान की जाती है।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है।



सचिव

ग्राम पंचायत सदर

बिकास छण्ड सदर मण्डी (हि.प्र.)

Attended



Assistant Engineer

Jai Shakti Sub Division

Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

39

आज दिनांक 05.04.2022 को मुदाब जमीन की
मुदाब रसगा की बैठक प्रधान जी कमलेश कुमार
जी की अध्यक्षता में हुई जिले में 144
62 स्त्रीयों ने भाग लिया उपस्थिति 206/478 स्त्री व
निम्न कार्यवाही समल में बाँटि गई।

क्र.सं.	नाम	कोटा	हस्ताक्षर
194	1. दलीप सिंह	11	दलीप सिंह
195	2. सोमा देवी	11	सोमा देवी
196	3. निर्मला देवी	11	निर्मला देवी
197	4. मनोहर लाल	11	मनोहर
200	5. मस्त राम	11	
201	6. दया राम	11	दया राम
202	7. विमला देवी	11	विमला देवी
203	8. मनोज कुमार	11	मनोज कुमार
204	9. कल्पना देवी	11	कल्पना देवी
205	10. योग राज	11	योग राज
206	11. पार्वती	11	पार्वती
207	12. रमेश कुमार	11	रमेश कुमार
208	13. पूष्पा देवी	11	पूष्पा देवी
209	14. सैम चंद	11	सैम चंद
210	15. सुरस्वती	11	सुरस्वती देवी
211	16. जेहा	11	जेहा
212	17. दिपक	11	दिपक
213	18. लक्ष्मणी	11	लक्ष्मणी
214	19. कमला	11	कमला देवी
215	20. उर्मिला देवी	11	उर्मिला
216	21. धनी देवी	11	धनी देवी
217	22. नरेश कुमार	11	नरेश कुमार
218	23. सुजीता	11	सुजीता
219	24. लाभ सिंह	11	लाभ सिंह
220	25. चंद्रकाता	11	चंद्रकाता

Attested

40

क्र.सं.	नाम	पिता	पता
18	शुभ सिंह	11	शुभ सिंह
19	नेत्र सिंह	11	नेत्र सिंह
20	सिता देवी	11	सिता देवी
21	प्रमोद कुमारी	11	Mamur Kumare
22	नीला देवी	11	नीला देवी
23	लता देवी	11	लता देवी
24	राज कुमार	11	Raj Kumar
25	वी.पाल	11	वी.पाल देवी गोपा
26	नर्मदा देवी	11	नर्मदा देवी
27	हेमन्त कुमार	11	HEMANT
28	नवीन	11	नवीन कुमार
29	नवल किशोर	11	नवल किशोर
30	सुरेन्द्र पाल	11	सुरेन्द्र
31	सिम्रा कुमारी	11	सिम्रा कुमारी
32	देव राज	11	देव राज
33	सिता	11	सिता देवी
34	संगीता	11	संगीता
35	सुनीता	11	सुनीता
36	डिपेंद्र कुमारी	11	डिपेंद्र कुमारी
37	नेक राम	11	नेक राम
38	संकुलता	11	संकुलता
39	केशव कुमार	11	केशव कुमार
40	कुशमा	11	कुशमा देवी
41	नवल खना	11	HEMANT
42	निमला देवी	11	निमला देवी
43	गुरुदाश	11	गुरुदाश
44	सोमा	11	सोमा देवी
45	प्रमोद चंद	11	HEMANT
46	निमला कुमारी	11	निमला कुमारी
47	लता	11	लता
48	चंद्रमणी	11	चंद्रमणी

Attested

for

५१

61.	मोम	दौलत राम
62.	दौलत राम	यशवंत
63.	सुनिल कुमार	सुनिल कुमार
64.	हिमाचली	हिमाचली
65.	राम सिंह	राम सिंह
66.	मोहन	मोहन
67.	मोहन	मोहन
68.	मोहन	मोहन
69.	परमेश्वर	परमेश्वर
70.	राम	राम
71.	पुनीत कुमार	पुनीत कुमार
72.	सुमन	सुमन
73.	अक्षरी देवी	अक्षरी देवी
74.	श्रीराम	श्रीराम
75.	लता देवी	लता देवी
76.	भामनाथ	भामनाथ
77.	राम कुमार	राम कुमार
78.	दया राम	दया राम
79.	रामनाथ	रामनाथ
80.	गोपाल	गोपाल
81.	अक्षरी देवी	अक्षरी देवी
82.	रामनाथ	रामनाथ
83.	सिता देवी	सिता देवी
84.	रामनाथ	रामनाथ
85.	बाली	बाली
86.	कुमारनाथ	कुमारनाथ
87.	भगत राम	भगत राम
88.	अक्षरी देवी	अक्षरी देवी
89.	मिश्र	मिश्र
90.	पदमा	पदमा
91.	श्रीराम	श्रीराम
92.	अक्षरी देवी	अक्षरी देवी

A. S. S. S.

Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

नाम
 राम सिंह
 पदम
 नारायण देवी
 विशाल कुमार
 नरेश कुमार
 भारती
 सीमा
 मीना कुमारी
 मीना देवी
 गो.कु.न.
 सीमा
 सरला
 योगेश कुमार
 अरुण
 अरुण सिंह
 चरमणी
 डि.लाल
 माया देवी
 शेर सिंह
 कमल किशोर
 डि.लाल
 पिकी
 ज्योति कुमारी
 नरेश कुमार
 दुर्गा देवी
 सु.सि.सि.
 रमा देवी
 कामिनी लाल
 डि.लाल
 निर्मला देवी
 लजा देवी
 अमर सिंह

इलाहर
 राम सिंह
 पदम
 नारायण देवी
 विशाल
 नरेश
 भारती
 सीमा
 मीना कुमारी
 मीना देवी
 मोहन
 सीमा
 सरला
 योगेश कुमार
 अरुण
 अरुण सिंह
 चरमणी
 डि.लाल
 माया देवी
 कमल किशोर
 डि.लाल
 पिकी
 ज्योति
 नरेश किशोर
 दुर्गा देवी
 सु.सि.सि.
 रमा
 डि.लाल
 निर्मला देवी
 लजा देवी
 अमर सिंह

Amended

Assistant Engineer
 Jai Shakti Sub Division
 Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

43

नाम
127. नीला देवी
128. निर्मला
129. रीना कुमारी
130. रचना वंकर
131. रघु व राम
132. दुर्गा देवी
133. दुर्गा देवी
134. बबली कुमारी
135. देव राज
136. अंजना कुमारी
137. मीना कुमारी
138. राज कुमारी
139. हिमा देवी
140. गोपाल सिंह
141. रीना देवी
142. जसोदा देवी
143. कला देवी
144. लता शर्मा
145. भानु प्रिया
146. हिमा वती
147. पुनी देवी
148. कमला
149. लता देवी
150. गायत्री देवी
151. नवल किशोर
152. सुनील कुमार
153. दुर्गा देवी
154. पद्मा देवी
155. भावना
156. गुलाब देवी
157. नरेश कुमार
158. रमेश चंद्र

डितावर
नीला देवी
निर्मला
रीना कुमारी
रचना वंकर
रघु व राम
दुर्गा
दुर्गा देवी
बबली कुमारी
देव राज
अंजना कुमारी
मीना कुमारी
प्रिया
हिमा देवी
गोपाल सिंह
रीना
जसोदा देवी
लता शर्मा
भानु प्रिया
हिमा वती
कमला
लता देवी
गायत्री देवी
Key
सुनील कुमार
दुर्गा देवी
पद्मा देवी
भावना
गुलाब देवी
नरेश कुमार
रमेश चंद्र

Attested



Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

सुमन

सुमन काकुट

यशवंत

धर्म चंद

दुर्गा देवी

धनी देवी

रुद्र

रुद्र

आम पुकाश

श्रीम लक्ष्मी

परमल देवी

संज्ञा देवी

भूप सिंह

हम सिंह

जानकी देवी

विद्या देवी

रुद्र

मांचली देवी

हिमाचल सिंह

हम सिंह

रुद्र

रुद्र

रुद्र

रुद्र

रुद्र

भीरव राम

जिम्मा देवी

चैला रण

उषा देवी

चन्द्रमणी

गीता देवी

ममला देवी

रुद्र

रुद्र

रुद्र

रुद्र

Attested

Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Sargoloo, Distt. Mandi (H.P.)

45

नाम

193	महेश्वर	
194	दुर्गा देवी	
195	लाला राम	
196	लाला देवी	
197	आलता देवी	
198	इलम सिंह	
199	रीता देवी	
200	मनरी राम	
201	बैरवती देवी	
202	जीत लाला	
203	मेना सिंह	
204	रघुपति देवी	
205	मीला देवी	
206	लुधरु राम	

लुधरु राम

डाज दिनांक 05.04.2022 को मुद्दाल

जलोण की ग्राम सभा जल की वेंडर की अध्यक्षता
अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार जी द्वारा की गई उपस्थिति
206/478 रही व निम्न कार्यवाही कागज में हुई

प्रस्ताव: उठाऊ पेयजल योजना कठवाही के संवर्धन व
निर्माण के लिए मुद्दाल जलोण में प्रस्तावित वनछूट
क्षेत्र में प्रस्तावित 0.1094 हेक्टेयर वन छूट के उपय
की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने को

ग्राम सभा जलोण की वेंडर

डाज दिनांक 05.04.2022 को आत 11:00 बजे लुधरु
जलोण में की गई जिसमें उठाऊ पेयजल योजना
कठवाही के संवर्धन व निर्माण के लिए जंगल/वन
क्षेत्र में प्रस्तावित 0.1094 हेक्टेयर वन छूट के उपय
की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की
सभी ग्रामवासियों ने सहमत हुए

(Signature)

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Sargol, Distt. Mandi (H.P.)

वाचक विपु
ग्राम पंचायत सदस्य
विकास खण्ड सदर मण्डी (हि.प्र.)

पूरी तरह समझने के बाद सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार) की मान्यता अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर कार्य की गई तथा सर्व सहमति से यह पारित हुआ कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे से सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूर्ण कट ली गई है तथा प्रस्तावित 0.1094 हेक्टेयर वन भूमि को उठाऊ पैयजल योजना के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग के लिए ग्राम सभा जलेश की सम्मति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से स्वीकार है।

साक्षि

ग्राम पंचायत सदस्य
बिकास खंड सदस्य (हि.प्र.)

Attested



Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)



कार्यालय ग्राम पंचायत सदोह, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी

(हि० प्र०)

कार्यवाही प्रपत्र

आज दिनांक 24-04-2022 को ग्राम सभा सदोह की ग्राम सभा की बैठक प्रधान श्री देवी चन्द जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें उपस्थिति 152/ 586 रही व निम्न कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रस्ताव संख्या 12 :- उठाऊ पेय जल योजना कठवाडी व इसके साथ के गांव के संवर्धन व निर्माण हेतु मुहान सदोह, लस्वाई खण्ड, जलौन में प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित करने के लिए NOC जारी करने बारे।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि FRA-2006 के अन्तर्गत उठाऊ पेयजल योजना के संवर्धन व निर्माण हेतु ग्राम सभा से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) बांछित है। अतः इस पर विचार विमर्श किया जावे।

विचार विमर्श उपरांत सर्व सन्मति से पारित हुआ कि FRA-2006 के अन्तर्गत उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु ग्राम सभा से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाना उचित व जनहित में है।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नकल कार्यवाही असल अनुसार सही है।


प्रधान
ग्राम पंचायत सदोह
विकास खण्ड सदर जिला मण्डी (हि० प्र०)


सचिव
ग्राम पंचायत सदोह
विकास खण्ड सदर मण्डी (हि.प्र.)

Attested


Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Saigakoo, Distt. Mandi (H.P.)

A.E. JSV S/Divn. Saigloo
Dy. No. 452
Dated 21/12/23



FORM-III

(for projects other than linear projects and plantations)
(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

Dated Mandi, the 17-11-2023

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that 0.0487 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Jal Shakti Vibhag for Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & its adjoining villages in GP Bir, Bari, Gumanu, Sadyana, Sehli, Sai, Kashan Sadoh and Tarnoh falls within the jurisdiction of village(s) Laswai Khad in Tehsil Kotli. It is further certified that:

- u.g.a.
f.R.
W.A.
- (a) the complete process of identification and settlement of rights under the FRA, 2006 has been carried out for the entire 0.0487 Hectare of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest-dwellers, who are eligible under the FRA, 2006.
- (c) each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabha(s) of Laswai Khad village are enclosed as attachment I to V.
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabhas present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA, 2006.

Encl: As above.

Arindam Chaudhary
(Arindam Chaudhary, IAS),
District Collector,
Mandi District, Mandi H.P.

Ar.R.
Ar.
21/12/23

Arindam

Send to the Executive Engg. - Jal Shakti Division Mandi
Dispatch No. - 37291
P.T.O.

Check List related to process of settlement of claims (individual/community) under FRA 2006		
1.	Muhal Name	लाहोस २९५
2.	Total population of Muhal	159
3.	Gram Panchayat name	साही
4.	Total population of Gram Panchayat	1966
5.	Date of Proclamation	23-02-2014
6.	Date of FRC meeting (Annexure-I)	24-8-2014
7.	Number of days between date of proclamation and date of meeting of FRC	90
8.	Date of meeting of Muhal Sabha (Annexure-II)	24-04-2022
9.	Quorum at the time of Muhal Sabha meeting	81/159
10.	Date of meeting of SDLC (Annexure-III)	
11.	Date of Muhal Sabha for issuance of Annexure-V (If applicable)	24/04/2022
12.	Quorum of Muhal Sabha for issuance of Annexure-V (If applicable)	152/586
13.	Annexure V- Land details (If applicable)	0.0487 Hect

Attended

for
Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Saigado, Distt. Mandi (H.P.)

for
ग्राम पंचायत सदस्य
विभागाध्यक्ष, साही (वि.स.)

वन अधिकार समिति, लस्वाई खड्ड
मुहाल सभा लस्वाई खड्ड
ग्राम पंचायत सदोह

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सदोह के अंतर्गत मुहाल लस्वाई खड्ड में वन अधिकार समिति का गठन दिनांक 23.02.2014 को किया जा चुका है।

अतः इस मुहाल के अंतर्गत वन अधिकार से सम्बंधित कोई व्यक्ति दावा या आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता है तो गठन दिनांक से 90 दिन के भीतर पंचायत सचिव के पास प्रस्तुत करें।


अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल लस्वाई खड्ड, तहसील सदोह, जिला कोटली
(हि.प्र.)
मुहाल सभा लस्वाई खड्ड


सचिव
ग्राम पंचायत सदोह
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा लस्वाई खड्ड

Attested


Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

Annexure-1

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006
वन अधिकार समिति

मुहाल सभा
ग्राम पंचायत

प्रतिलिपि प्रस्ताव
दिनांक 24-08-2014

प्रस्ताव संख्या ७२/.....

वन अधिकार समिति मुहाल सभा लखवाड़ा की बैठक आज दिनांक 24-08-2014 को 11:00 बजे लखवाड़ा मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के लिए दावे प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन:-

सही दावों का व्यौरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का व्यौरा
—	<u>श्री ४२५</u>	—	—

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
—	<u>श्री ४२५</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है:
या
मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान लखवाड़ा
दिनांक 24-08-2014

सचिव
ग्राम पंचायत समिति
विकास खण्ड लखवाड़ा (हि.प्र.)

अध्यक्ष
अध्यक्ष वन अधिकार समिति
वन अधिकार समिति, त0 कोटली
मुहाल सभा (हि.प्र.)
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड
हिमाचल प्रदेश।

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigabo, Distt. Mandi (H.P.)

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा का नाम जाल शक्ति
ग्राम पंचायत का नाम सागाँव
मुहाल सभा सदस्य संख्या 159
उपस्थित सदस्य संख्या 81

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 24-04-22

प्रस्ताव संख्या 01

मुहाल सभा जाल शक्ति की बैठक आज दिनांक 24-04-2022 को 11:00 बजे जाल शक्ति स्थान में श्री/श्रीमती सुनीता की अध्यक्षता में की गई व उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है, जिसमें जाल शक्ति मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त हुए। गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

कुल प्राप्त आवेदन:-

सही दावों का ब्योरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का ब्योरा
<u>01</u>	<u>सुनीता</u>	<u>जाल शक्ति</u>	<u>सुनीता</u>

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
<u>—</u>	<u>सुनीता</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल जाल शक्ति में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उत्तेजार्ज नक्शा बर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों के दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान
दिनांक

जाल शक्ति (वजीर)
24/04/2022

सचिव
पंचायत समिति
मुहाल सभा
प्रमुख अधिकारी
तद्वर सचिवी (दि.न.)

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaon, Distt. Mandi (H.P.)

**OFFICE OF THE SDO (CIVIL), KOTLI MANDI
DISTRICT MANDI HP.**

Proceeding of the meeting of the sub Division Level committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Mandi Kotali Sub-Division constituted under FRA,2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Aseem Sood SDO (Civil), Kotli Mandi on 10.05.2023 at 12:00 P.M at Kotali in which the applicant(s) of Sadoh Gram Sabha, claiming rights in FRC Laswai Khad forest area(s) under FRA,2006 duly processed and recommend by Sadoh Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of the following applicants were found to be in order and recommended for admission to the District Level Committee:-

Sr. No	Name of the Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
--------	-----------------------	----------------	------------------------

1	-----NA-----		
---	--------------	--	--

2	-----NA-----		
---	--------------	--	--

Claims of the Following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of the Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
--------	-----------------------	----------------	------------------------

1	-----NA-----		
---	--------------	--	--

2	-----NA-----		
---	--------------	--	--

AS informed by Sadoh Gram Sabha, no application was received claiming right laswai Khad Forest area.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the Community right of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the forest settlement report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, National parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal, Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place:- Kotli

Date:- 10/5/2023

SDO(Civil)-Cum-Chairman. /Chairperson.
SDLC Kotli District Mandi H.P

[Signature]

Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

Annexure-V

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा जल शक्ति
विकास खण्ड यार जिला मण्डी (हि.प्र.)

प्रतिनिधि प्रस्ताव

दिनांक 24/04/2022

प्रस्ताव संख्या 01

गणपूर्ति 40/52/586

विषय- उदाय जल योजना (विभाग/संस्था को जल शक्ति विभाग) के निर्माण हेतु जल शक्ति जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0487 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा जल शक्ति की बैठक आज दिनांक 24/04/2022 को 11:00 बजे स्थान सर्वे में की गई जिसमें जल शक्ति विभाग/संस्था को उदाय जल योजना निर्माण हेतु 0.0487 जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0487 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों में सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरे तरह समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.0487 हेक्टेयर वन भूमि को उदाय जल योजना के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा जल शक्ति की सहमति दी जाती है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिव रूल अर्ज नक्शा वर्तुन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वन अधिकारों एवं सामुदायिक वन संस्थाओं के अधिकारों को जांचा गया एवं मुद्दाल सभा को सिखा हेतु प्रेषित किया गया। वन संस्थाओं के मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएँ वन विभाग के अगिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान सर्वे
दिनांक 24/4/2022

ग्राम पंचायत सदस्य
विकास खण्ड मण्डी (हि.प्र.)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

अध्यक्ष यार
वन अधिकार समिति
ग्राम 10 पं० सदोह, त० कोटली
जिला मण्डी (हि०प्र०)

Assistant Engineer

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saugdeo, Distt. Mandi (H.P.)

कार्यवाही प्रपत्र

आज दिनांक 16-05-2022 को FRA-2006 के अन्तर्गत मुहाल लस्वाई खड की ग्राम सभा बैठक श्री चंद्रमणी जी की अध्यक्षता में प्रातः 11:00 बजे गांव लस्वाईखड में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति 81/159 रही। बैठक का कोरम दोपहर 2:00 PM बजे पूर्ण हुआ तथा बैठक का कोरम पूर्ण होने पर निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या -01:- उठाऊ पेय जल योजना कठवाडी के संवर्धन व निर्माण के लिए मुहाल लस्वाईखड में प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र में प्रस्तावित-0.0487 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने बारे।

ग्राम सभा लस्वाई खड की बैठक आज दिनांक 16-05-2022 को प्रातः 11:00 am बजे स्थान लस्वाई खड में की गयी जिसमें उठाऊ पेयजल योजना कठवाडी के संवर्धन व निर्माण के लिए जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित - 0.0487 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

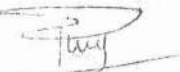
सभी ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि में प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता अधिनियम -2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व सहमति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे से सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा प्रस्तावित- 0.0487 हेक्टेयर वन भूमि को "उठाऊ पेयजल योजना कठवाडी के संवर्धन व निर्माण उपयोग के लिए ग्राम सभा लस्वाईखड की सहमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है।




Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)



सचिव
ग्राम पंचायत सदस्य
विकास खण्ड सदर मण्डी (हि.प्र.)

आज दिनांक 30.4.22 को 1 बजे मुहल लखाई खंड की बैठक अध्यक्ष श्री चन्द्रमणी की अध्यक्षता में जल शक्ति विभाग की वन भूमि उठाकर जल योजना कठवाड़ी के संवाद व निमील कार्य के लिए पुस्तकित की गई है। इस भूमि को वन विभाग से हस्तांतरित करने पर मुहल सभा लखाई को उगर व हारज नहीं देवही इस भूमि के हस्तांतरित करने पर कोई भी लोग प्रभावित नहीं होगा।

नाम	हस्ताक्षर
1. देव चन्द	
2. धनी राम	
3. जयल प्रकाश	
4. रम चन्द	
5. लक्ष्मीर सिंह	
6. कमल किशोर	
7. चमन सिंह ठाकुर	
8. नीलम	
9. मंगला	
10. कलावती	
11. मनीष कुमार	
12. दलीप सिंह	
13. सजु	
14. रानी देवी	
15. कान्देश ठाकुर	
16. देव 210	
17. देव सिंह	
18. चमन सिंह	
19. कमलेश कुमार	
20. देव सिंह	
21. सजु देवी	

Assistant Engineer

Jal Shakti Sub Division

Saigakoo, Distt. Mandi (H.P.)

24. डैन सिंह
25. संजय
26. आनंद
27. संजय देवी
28. संजय देवी
29. राजेश
30. जयल देवी
31. जयल देवी
32. गोपाल सिंह
33. जयल देवी
34. जयल सिंह
35. देवी देवी
36. संजय
37. तुलसी देवी
38. जयल देवी
39. माया देवी
40. जयल देवी
41. राजेश
42. जयल देवी
43. राजेश देवी
44. राजेश देवी
45. राजेश देवी
46. राजेश देवी
47. राजेश देवी
48. राजेश देवी
49. राजेश देवी
50. राजेश देवी
51. राजेश देवी
52. राजेश देवी
53. राजेश देवी

1. राजेश
2. राजेश
3. राजेश
4. राजेश देवी
5. राजेश देवी
6. राजेश देवी
7. राजेश देवी
8. राजेश देवी
9. राजेश देवी
10. राजेश देवी
11. राजेश देवी
12. राजेश देवी
13. राजेश देवी
14. राजेश देवी
15. राजेश देवी
16. राजेश देवी
17. राजेश देवी
18. राजेश देवी
19. राजेश देवी
20. राजेश देवी
21. राजेश देवी
22. राजेश देवी
23. राजेश देवी
24. राजेश देवी
25. राजेश देवी
26. राजेश देवी
27. राजेश देवी
28. राजेश देवी
29. राजेश देवी
30. राजेश देवी
31. राजेश देवी
32. राजेश देवी
33. राजेश देवी
34. राजेश देवी
35. राजेश देवी
36. राजेश देवी
37. राजेश देवी
38. राजेश देवी
39. राजेश देवी
40. राजेश देवी
41. राजेश देवी
42. राजेश देवी
43. राजेश देवी
44. राजेश देवी
45. राजेश देवी
46. राजेश देवी
47. राजेश देवी
48. राजेश देवी
49. राजेश देवी
50. राजेश देवी
51. राजेश देवी
52. राजेश देवी
53. राजेश देवी

Attested

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

1. राजेश देवी

56. सनमणी देवी
57. ललित
58. दशगोत्र
59. लाला सिंह
60. सुमना
61. दिगम्बरी देवी
62. मांछली देवी
63. चंद्रमणी
64. नगमा देवी
65. रमेश
66. लाला देवी
67. सुंदरी देवी
68. सुनील राय
69. रविंद्र ठाकुर
70. मांछली देवी
71. सिद्धी देवी
72. शिवी देवी

- सुमना देवी
- ललित
- रामेश
- लाला देवी
- सुमना
- दिगम्बरी देवी
- मांछली देवी
- चंद्रमणी
- नगमा देवी
- रमेश
- लाला देवी
- सुंदरी देवी
- सुनील राय
- रविंद्र ठाकुर
- मांछली देवी
- सिद्धी देवी
- शिवी देवी

72. श्रीर सिंह

73. लालेश कुमार

74. लालेश कुमार

75. सुनील राय

76. रविंद्र ठाकुर

77. मांछली देवी

78. सिद्धी देवी

79. शिवी देवी

80. श्रीर सिंह

81. लालेश कुमार

82. सुनील राय

83. रविंद्र ठाकुर

84. मांछली देवी

85. सिद्धी देवी

86. शिवी देवी

87. श्रीर सिंह

88. लालेश कुमार

89. सुनील राय

90. रविंद्र ठाकुर

91. मांछली देवी

92. सिद्धी देवी

93. शिवी देवी

94. श्रीर सिंह

95. लालेश कुमार

96. सुनील राय

97. रविंद्र ठाकुर

98. मांछली देवी

99. सिद्धी देवी

100. शिवी देवी

Amesh



कार्यालय ग्राम पंचायत सदोह, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी

(हि० प्र०)

कार्यवाही प्रपत्र

आज दिनांक 24-04-2022 को ग्राम सभा सदोह की ग्राम सभा की बैठक प्रधान श्री देवी चन्द जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें उपस्थिति 152/ 586 रही व निम्न कार्यवाही अमल में लाई गयी।

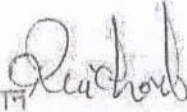
प्रस्ताव संख्या 12 :- उठाऊ पेय जल योजना कठवाड़ी व इसके साथ के गांव के संवर्धन व निर्माण हेतु मुहाल सदोह, लस्वाई खड्ड, जलौन में प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित करने के लिए NOC जारी करने बारे।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि FRA-2006 के अन्तर्गत उठाऊ पेयजल योजना के संवर्धन व निर्माण हेतु ग्राम सभा से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) बांछित है। अतः इस पर विचार विमर्श किया जावे।

विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से पारित हुआ कि FRA-2006 के अन्तर्गत उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु ग्राम सभा से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाना उचित व जनहित में है।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नकल कार्यवाही असल अनुसार सही है।


प्रधान
ग्राम पंचायत सदोह
विकास सदर जिला मण्डी (हि० प्र०)


सहायक
ग्राम पंचायत सदोह
विकास खण्ड सदर मण्डी (हि.प्र.)




Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Saigakoo, Distt. Mandi (H.P.)

FORM-III

(for projects other than linear projects and plantations)
(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

Dated Mandi, the 17.11.2023

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

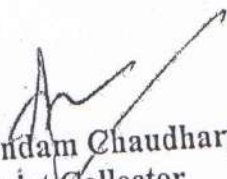
In compliance of the Rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] It is certified that 0.0359 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Jal Shakti Vibhag for Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & its adjoining villages in GP Bir, Bari, Gumanu, Sadyana, Sehli, Sai, Kashan Sadoh and Tarnoh falls within the jurisdiction of village(s) Kutli in Tehsil Kotli. It is further certified that:

- the complete process of identification and settlement of rights under the FRA, 2006 has been carried out for the entire 0.0359 Hectare of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest-dwellers, who are eligible under the FRA, 2006.
- each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabha(s) of Kutli village are enclosed as attachment I to V.
- the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabhas present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;
- the rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA, 2006.

Encl: As above.

Attested


Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Sargana, Distt. Mandi (H.P.)


(Arindam Chaudhary, IAS),
District Collector,
Mandi District, Mandi H.P.

Office copy (JE Jal Shakti Division Mandi)
Dispatch No. - 37291
Date: - 17/11/2023

Check List related to process of settlement of claims (individual/community) under

FRA 2006

1.	Muhal Name	गुडगाँव
2.	Total population of Muhal	242
3.	Gram Panchayat name	तराई
4.	Total population of Gram Panchayat	1814
5.	Date of Proclamation	23-02-2014
6.	Date of FRC meeting (Annexure-I)	2-2-2014
7.	Number of days between date of proclamation and date of meeting of FRC	90
8.	Date of meeting of Muhal Sabha (Annexure-II)	26-12-2021
9.	Quorum at the time of Muhal Sabha meeting	152/242
10.	Date of meeting of SDLC (Annexure-III)	-
11.	Date of Muhal Sabha for issuance of Annexure-V (If applicable)	7-05-2022
12.	Quorum of Muhal Sabha for issuance of Annexure-V (If applicable)	104/505
13.	Annexure V- Land details (If applicable)	0.0359 Hect

Attested


Assistant Engineer
Ja. Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)



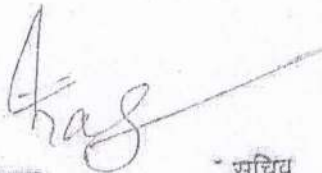
जा. शक्ति उप-विभाग
सागलू, जिला मंडी

वन अधिकार समिति. कुटली
मुहाल समा. कुटली
ग्राम पंचायत तरनोह

सार्वजनिक सूचना

सार्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत तरनोह के अंतर्गत मुहाल कुटली में वन अधिकार समिति का गठन दिनांक 23.12.2014 को किया जा चुका है।

अतः इस मुहाल के अंतर्गत वन अधिकार से सम्बंधित कोई व्यक्ति दावा या आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता है तो गठन दिनांक से 90 दिन के भीतर पंचायत सचिव के पास प्रस्तुत करें।


प्रधान सचिव
अध्यक्ष वन अधिकार समिति
कुटली वन अधिकार समिति तरनोह
मुहाल समा. कुटली (H.P.)


सचिव
ग्राम पंचायत तरनोह
वन अधिकार समिति
मुहाल समा. कुटली



Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigakoo, Distt. Mandi (H.P.)

Annexure-I

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006
वन अधिकार समिति

मुहाल सभा कुटली
ग्राम पंचायत सरनोह

प्रतिनिधि प्रस्ताव

दिनांक 2-02-2014प्रस्ताव संख्या F

वन अधिकार समिति मुहाल सभा कुटली की बैठक आज दिनांक 2-02-14 को 12.00 बजे कुटली मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के लिए दावे प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन:-

सही दावों का ब्योरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का ब्योरा
—	—	<u>2024</u>	—

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा के इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं माना गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
—	<u>2024</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है:
या
मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा दर्शन एवं वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वन अधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान

दिनांक

(कुटली)
2-02-2014

साधिव

वन अधिकार समिति

Secretary

Gram Panchayat Tarnoh
Dev. Block Sadar, Mandi H.P.

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति प्रधान

मुहाल सभा कुटली वन अधिकार समितिग्राम पंचायत कुटली गा.प. तहसीलविकास खण्ड कुटली जिला मण्डी (हि.प्र.)

हिमाचल प्रदेश।

Assistant Engineer

Jal Shakti Sub Division

Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

मुहाल सभा का नाम कुल्ली
ग्राम पंचायत का नाम सरनीह
मुहाल सभा सदस्य संख्या 242
उपस्थित सदस्य संख्या 152

प्रतिलिपि प्रस्ताव
दिनांक

26/12/2021

प्रस्ताव संख्या 03

मुहाल सभा कुल्ली की बैठक आज दिनांक 26/12/21 को 11:30 बजे कुल्ली स्थान में श्री/श्रीमती कुल्ली की अध्यक्षता में की गई व उपरोक्त मुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है, जिसमें मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त हुए। गांववासियों को आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन:-

सही दावों का ब्योरा:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का प्रकार
—	<u>2024</u>	—	—

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को प्राप्त करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करता है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
—	<u>2024</u>

तदनुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करता है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल कुल्ली में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त में दौरान तैयार की गई गांजिव उस अर्ज तथा बर्तन एवं वन बंदोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वनधिकारी एवं सामुदायिक वन संस्थाओं के अधिकारों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों के दावे को स्वीकार किया गया। वन संस्थाओं के मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान
दिनांक

कुल्ली
26/12/2021

पंचायत कुल्ली Secretary

मुहाल कुल्ली Gram Panchayat Tarnon
ग्राम पंचायत
Dev. Block Sadar, Mandi H.P

Attended

Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

**OFFICE OF THE SDO (CIVIL), KOTLI MANDI
DISTRICT MANDI HP.**

Proceeding of the meeting of the sub Division Level committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Mandi Kotli Sub-Division constituted under FRA,2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Aseem Sood SDO (Civil), Kotli Mandi on 10.05.2023 at 12:00 P.M at Kotli in which the applicant(s) of Trnoh Gram Sabha, claiming rights in FRC kutli forest area(s) under FRA,2006 duly processed and recommend by Trnoh Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of the following applicants were found to be in order and recommended for admission to the District Level Committee:-

Sr. No	Name of the Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.	-----NA-----	-----	-----
2.	-----NA-----	-----	-----

Claims of the Following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of the Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
1	-----NA-----	-----	-----
2.	-----NA-----	-----	-----

AS informed by Trnoh Gram Sabha, no application was received claiming right Kutli Forest area.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the Community right of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the forest settlement report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, National parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal, Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Attested

Place:- Kotali

Date:- 10/5/2023

SDO(Civil)-Cum-Chairman. /Chairperson:-
SDLC Kotli District Mandi H.P.

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigakoo, Distt. Mandi (H.P.)

Annexure-V

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा तरनोह

विकास खण्ड उदर जिला मण्डी (हि.प्र.)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 7-5-2022

गणपूर्ति 104/505

प्रस्ताव संख्या 6

विषय- जल शक्ति (विभाग/संस्था को उदर जल योजना कठोरी के निर्माण हेतु उदर जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0359 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा तरनोह की बैठक आज दिनांक 7-5-2022 को 11:00 बजे स्थान तरनोह में की गई जिसमें जल शक्ति विभाग/संस्था को उदर जल योजना कठोरी के निर्माण हेतु उदर जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.0359 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

उपरोक्त चर्चा के बाद ग्राम सभा ने निम्नलिखित निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.0359 हेक्टेयर वन भूमि को उदर जल योजना कठोरी के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा तरनोह की सहमति दी जाती है।

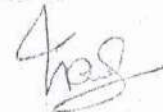
बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब-उल-अर्ज नक्शा बतौर एच एन बन्दोबस्त रिपोर्ट में वर्णित सामुदायिक वन अधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परम्परागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान तरनोह

दिनांक 7/05/2022

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा



अध्यक्ष

वन अधिकार समिति
ग्राम तरनोह, तह उदर
जिला मण्डी (हि.प्र.)

अध्यक्ष

ग्राम सभा तरनोह
क.व. सदर जि. मण्डी (हि.प्र.)

Attested


Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

कार्यवाही प्रपत्र

आज दिनांक 26-12-2021.. को FRA -2006 के अन्तर्गत मुहाल कुटली की ग्राम सभा बैठक श्री हेम सिंह जी की अध्यक्षता में प्रातः 11:00 बजे गांव कुटली में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति 152/242 रही। बैठक का कोरम दोपहर 2:00 PM बजे पूर्ण हुआ तथा बैठक का कोरम पूर्ण होने पर निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या -03:- उठाऊ पेय जल योजना कठवाडी के संवर्धन व निर्माण के लिए मुहाल कुटली में प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र में प्रस्तावित- 0.0359 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने बारे।

ग्राम सभा कुटली की बैठक आज दिनांक 26-12-2021 को प्रातः 11:00 am बजे स्थान कुटली में की गयी जिसमें उठाऊ पेयजल योजना कठवाडी के संवर्धन व निर्माण के लिए जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित - 0.0359 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि में प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सहमति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता अधिनियम -2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व सहमति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे से सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा प्रस्तावित- 0.0359 हेक्टेयर वन भूमि को "उठाऊ पेयजल योजना कठवाडी के संवर्धन व निर्माण उपयोग के लिए ग्राम सभा कुटली की सहमती प्रदान की जाती है।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है।


मानिब
ग्राम पंचायत सडौह तरनाह
बिकास खण्ड सदर मण्डी (हि.प्र.)


Assistant Engineer
Jai Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

कृदली

classmate

Date

Page

19

आज दिनांक 26-12-2021 को ग्राम पंचायत तरनीह की वार्ड कुटल-1 वन अधिकार समिति की बैठक प्रधान श्री हेम सिंह की अध्यक्षता में की गई। जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया और निम्नलिखित बातों पर चर्चा की गई।

क्रमिक	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	हेम सिंह	उपान	4 Nov
2.	श्री मति जीना देवी	उप उपान	meena devi
3.	श्री पुष्प बाजा	सचिव	
4.	श्री देवी लाल	सदस्य	
5.	॥ रमेश कुमार	॥	Ramish
6.	॥ लतिका कुमार	॥	Salish Kumar
7.	॥ धनराम रंग	॥	Ghanram Rano
8.	श्री मति नीलमा देवी	॥	नीलमा देवी
9.	श्री देवी रूप	॥	
10.	हुसैन	॥	
11.	इन्दु सिंह	॥	
12.	पुष्पा	॥	
13.	पुष्पा	॥	
14.	जवली देवी		जवली देवी
15.	दीपक शर्मा		दीपक शर्मा
16.	बबिता कुमारी		Babita
17.	इन्द्र सिंह		Indu Singh
18.	जवली देवी		Narabaki

Attended

Sub Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigabo, Distt. Mandi (H.P.)

		classmate	
		Date _____	Page _____
क्र.	नाम		
19	कान्ता देवी		12
20	नविन्द्र सिंह	Romtg. m	13
21	नर्वदा देवी	नर्वदा	14
22	बेकम मणी हर्षमता	बेकमता	15
23	मीरा देवी	मीरा	16
24	सुकमणी देवी	सुकमणी	17
25	इन्दा देवी	इन्दा	18
26	तारा देवी	Tara Devi	19
27	अमा कुमारी	अमा कुमारी	20
28	गम्भारी देवी	गम्भारी	21
29	हिमा देवी	हिमा	22
30	जया कफुर	Jaya Khabur	23
31	नीलम कुमारी	नीलम कुमारी	24
32	महेन्द्र बाल	महेन्द्र	25
33	द्योती देवी	द्योती देवी	26
34	Ramesh Chaud	Ramesh Chaud	27
35	नमाला सिंह	N8/20	28
36	Sangeeta	Sangeeta	29
37	कौशल्या देवी	कौशल्या	30
38	विजय देवी	विजय देवी	31
39	Kahar Singh	Kahar	32
40	लता देवी	लता देवी	33
41	हिमा देवी	हिमा देवी	34
42	Panagot Ram	Panagot	35
43	मीरा देवी	मीरा देवी	36
44	इन्द्र सिंह	इन्द्र सिंह	37

Assistent Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

14/12

classmate
Date _____
Page _____

ममता देवी	45	ममता देवी	ममता देवी
विमला देवी	46	विमला देवी	विमला देवी
रमेश चन्द्र	47	रमेश चन्द्र	रमेश चन्द्र
गीता देवी	48	गीता देवी	गीता देवी
सतीश कुमार	49	सतीश कुमार	सतीश
गीता देवी	50	गीता देवी	गीता देवी
दया लाल	51	दया लाल	दया लाल
वर्मा लाल	52	वर्मा लाल	वर्मा लाल
देव कुमारी	53	देव कुमारी	देव कुमारी
नर्तिका देवी	54	नर्तिका देवी	नर्तिका देवी
सरला देवी	55	सरला देवी	सरला
प्रियंका	56	प्रियंका	प्रियंका
गंगा कुमारी	57	गंगा कुमारी	गंगा कुमारी
दीपिका	58	दीपिका	दीपिका
रमेश चन्द्र	59	रमेश चन्द्र	रमेश चन्द्र
ममल निशोर	60	ममल निशोर	ममल निशोर
सावित्री देवी	61	सावित्री देवी	सावित्री
गौरव	62	गौरव	गौरव
हिमाचली	63	हिमाचली	हिमाचली
रमेश लाल	64	रमेश लाल	रमेश लाल
देव लाल	65	देव लाल	देव लाल
निर्मल देवी	66	निर्मल देवी	निर्मल देवी
मूप नरेश	67	मूप नरेश	मूप नरेश
रमेश चन्द्र	68	रमेश चन्द्र	रमेश चन्द्र
दुनी चन्द	69	दुनी चन्द	दुनी चन्द
	70		

Assistant Engineer
Shakti Sub Division
Sargaha, Distt. Mandi (H.P.)

classmate

Date

Page

71	लक्ष्मी	Laxmi
72	धनी	Dhani
73	पुजा	Puja
74	कमला	Kamla
75	नम्रता	Narmata
76	Narmata	Narmata
77	तुलसी राम	Tulsi Ram
78	हिमाचली	Himachali
79	इन्द्र सिंह	Indra Singh
80	पद्मा देवी	Padmadevi
81	दिना कोटा	Hima Bala
82	शोनी	Shoni
83	कवली कुमारी	Kawali Kumari
84	सुमन कुमारी	Suman Kumari
85	मीरा देवी	Miradevi
86	नीरू देवी	Neeru Devi
87	स्मृति देवी	Smriti Devi
88	दमा देवी	Dama Devi
89	दीप्ता देवी	Dipta Devi
90	पार्वती देवी	Parvati Devi
91	नरेन्द्र कुमार	Narendra Kumar
92	कुमला देवी	Kumala Devi
93	हिमा देवी	Hima Devi
94	पार्वती देवी	Parvati Devi
95	सुनिता देवी	Sunita Devi

Attended

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

classmate

classmate

Date

Page

58

Laxmi	96	सुनिता देवी	सुनिता देवी
दीपा	97	प्रेमा देवी	प्रेमा देवी
पूजा	98	शीला देवी	शीला देवी
दीपा	99	दीपा देवी	दीपा देवी
पुनम कुमारी	100	व पुनम कुमारी	पुनम कुमारी
मीना देवी	101	मीना देवी	मीना देवी
संतोष कुमार	102	संतोष कुमार	संतोष कुमार
चन्द्रमणी	103	चन्द्रमणी	चन्द्रमणी
नैनली	104	नैनली	Nancy
वीणा देवी	105	वीणा देवी	वीणा देवी
ओम कुमारी	106	ओम कुमारी	Om Kumari
हेम राज	107	हेम राज	Hem Raj
माया देवी	108	माया देवी	माया देवी
ललिता देवी	109	ललिता देवी	ललिता देवी
मीना देवी	110	मीना देवी	मीना देवी
वृजवाला	111	वृजवाला	वृजवाला
वृषणा देवी	112	वृषणा देवी	वृषणा देवी
संजय कुमार	113	संजय कुमार	संजय कुमार
दुर्गा काम	114	दुर्गा काम	दुर्गा काम
पूजा कुमारी	115	पूजा कुमारी	Pooja Kumari
दीपा देवी	116	दीपा देवी	दीपा देवी
संतोष कुमार	117	संतोष कुमार	Santosh Kumar
तैयल सिंह	118	तैयल सिंह	Tail Singh
पुनी चन्द	119	पुनी चन्द	Pooni Chand
मनोज कुमार	120	मनोज कुमार	Manoj Kumar

AMENDED

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo Distt. Mandi (H.P.)

classmate

Date

Page

121

121

इन्द्र सिंह

Indersingh

122

तेज चन्द

तेज चंद

123

श्रीमती राज

श्रीमती राज

124

लिनक कुमारी

Lalika Kumari

125

इन्द्र सिंह

इन्द्र सिंह

126

जोषी लाल

Joshi Lal

127

इन्द्र सिंह

Indersingh

128

वृज लाल

वृज लाल

129

मुरारी लाल

Murali Lal

130

सेवरी देवी

Sevri Devi

131

पल्लव राम

Pallav Ram

132

सुष्मती देवी

Sushmita Devi

133

देवी देवी

Devi Devi

134

मीला देवी

Mila Devi

135

धनेवती

Dhanvati

136

अम्बा देवी

Amba Devi

137

राजकुमारी

Rajkumari

138

धनराम

Dhanram

139

शेखर चन्द

Shekhar Chandra

140

इन्द्र सिंह

Indersingh

141

दलीप सिंह

Dilip Singh

142

पुकीन कुमार

Pukin Kumar

143

राज लाल

Raj Lal

144

गोपाल दास

Gopal Das

145

निलेश कुमार

Nilesh Kumar

Amber

Assistant Engineer

Jal Shakti Sub Division

Saigakoo, Distt. Mandi (H.P.)

Damanpur

Ramadevi

मरुताराम

Dinsh Kumar

Narender Kumar

माया देवी

Nagina

- 146 दमन जीत
147 शमा देवी
148 मरुताराम
149 दिनेश कुमार
150 नरेन्द्र कुमार
151 माया देवी
152 श्रीमती नागिना देवी

उत्तरांचल राज्य में उठाऊ पेयजल योजना अठ्ठाई के संवर्धन व निर्माण के लिए मुहल कुटली में उल्लिखित वन भूमि क्षेत्र में उल्लिखित 0.0359 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति पत्रान करने बारे

ग्राम लम्बा कुटली की चौकड़ आज दिनांक 26-12-2021 को प्रातः 11:00 बजे लम्बा कुटली में श्री गडि जिले में उठाऊ पेयजल योजना अठ्ठाई के संवर्धन व निर्माण के लिए जंगल/वन क्षेत्र में उल्लिखित 0.0359 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति पत्रान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने सहमति व वन भूमि में उल्लिखित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों की पूरी तरह समझने के बाद सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि यह

A. H. S. S. S.

Assistant Engineer

Jal Shakti Sub Division

Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)

विवरण

जिला

ग्राम पंचायत लम्बा

विकास एवं सार मण्डी (हि.प्र.)

आम लोग उल्टा उ लिखे वन न।
जान पर महमत है।

~~2. Directly $\rightarrow 1.15$~~

प्रति २००० की दर से २०००

अनज्जात व अन्य परम्परागत वन

विन अधिकार की अन्याय व्यवस्था

अधिनियम - २००६ के अन्तर्गत

उत्पत्तिकारों के दावों के निपटारे पर

की गई तथा सर्व सम्मति से

गया कि उपरोक्त निदिशित है

अधिकांश के दो के विषय के

सारी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए

0.0354

ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।

निर्माण के अंतर्गत व निर्माण

1. सर्वे शांति सेना कुरुक्षेत्र की सहमती

~~Handwritten text, likely a signature or name, crossed out with a horizontal line.~~

1925

1997

प्रा.स. प्रकाशक संस्थान

ANALCE

Assistant Engineer

~~Jal Shakti Sub Division~~



कार्यालय ग्राम पंचायत तरनोह, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी

(हि० प्र०)

कार्यवाही प्रपत्र

आज दिनांक 07-05-2022 को ग्राम सभा तरनोह की ग्राम सभा की बैठक प्रधान श्री मती अनामिका जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें उपस्थिति 104/ 505 रही व निम्न कार्यवाही अमल में लाई गयी।

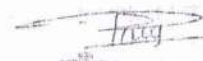
प्रस्ताव संख्या 6 :- उठाऊ पेय जल योजना कठवाड़ी व इसके साथ के गांव के संवर्धन व निर्माण हेतु मुहाल कुटली में प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित करने के लिए NOC जारी करने बारे।

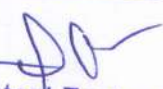
अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि FRA-2006 के अन्तर्गत उठाऊ पेयजल योजना के संवर्धन व निर्माण हेतु ग्राम सभा से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) बांछित है। अतः इस पर विचार विमर्श किया जावे।

विचार विमर्श उपरांत सर्व सन्मति से पारित हुआ कि FRA-2006 के अन्तर्गत उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु ग्राम सभा से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाना उचित व जनहित में है।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है।

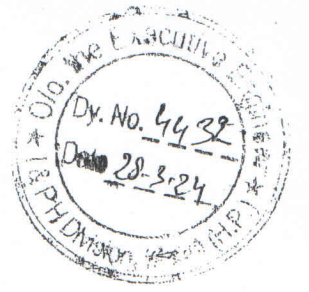
प्रमाणित किया जाता है कि यह नकल कार्यवाही असल अनुसार सही है।


सहायक
ग्राम पंचायत तरनोह
विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी



Assistant Engineer
Jal Shakti Sub Division
Saigaloo, Distt. Mandi (H.P.)



OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS,
MANDI FOREST DIVISION, MANDI, HP 175001
Phone & Fax 01905-235360, e-mail-dfomandi@gmail.com



No./RK./ 11129

Dated 28/03/2024

To

Executive Engineer,
Irrigation & Public Health,
Jal Shakti Division,
Distt. Mandi H.P

Subject :- Diversion of 0.5214 ha Forest Land in favour of J.S.V for the Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari & Its adjoining Villages in G.P Bir/Bari/BariGamanoo, Sadyana, Sehli, Sai, Kashan, Sadoh and Tarnoh Tehsil Sadar Distt. Mandi (H.P) within the jurisdiction of Mandi Forest Division Distt. Mandi H.P

Sir,

Kindly refer to your office letter No. JSV-D Mandi-WA-LA/2024/17970-72 dated 29.02.2024 on the subject cited above .

2. In this context, it is intimated that vide letter under reference the compliance report of the stipulation raised in the In-principal approval has been received in this office. After perusal the compliance the cost of trees has not been deposited. It is therefore, requested that please deposit the cost of trees in the Govt. head 0406-01-800-15 as per detail given as under :-

S.No.	Species	No.	Vol in m ³	Amount (in Rs/m ³) as per 2023-24 Market Rate	Total Amount
1.	Chil	40	8.92	55596/-	4,95,916/-
2.	Ban	4	0.112	20102/-	2251/-
	Total	44	9.032		4,98,167/-
	GST (18 %)				89670/-
	Increase (10%)				49817/-
				G.Total	6,37,654/-

Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division, Mandi, HP

Encl. No. SE-ISO-MANDI-WA-LA/2023-19904 dt. 28-03-2024

Copy forwarded to the Assistant

Engineer, JS Sub-Division Sadyana for information and necessary action.

for Allu.

Jal Shakti Division Mandi

**E-CHALLAN****Government Of Himachal Pradesh**

Department of Finance

Treasuries, Accounts & Lotteries

Valid Upto 09-Sep-2024

Remitter Copy

HIMGRN

B24I101873

Date 03-09-2024 01:13:49PM

Department

Forest

BarCode**Period**

03-09-2024 To 03-09-2024

DDO

MDI00-814- FOREST DIVISION MANDI

Head**₹ Amount**

0406-01-800-15-RECEIPT FROM SALE OF TREES TI

637654

Total/Net Amount**637654****In words**Six Lakh Thirty Seven Thousand Six Hundred
Fifty Four**Payee Detail****Licence/Vehicle/Permit/TIN no.**

RECEIPT FROM SALE OF TREES TO OTHER DEPTT/ORGANISATIONS

Remitter Name:-

Executive Engineer JSV Mandi

Address:-sanskriti sadan motipur near
chamunda mata temple Mob:
8219580411**FOR USE IN RECEIVING BANK****Bank CIN No****HIMGRN****B24I101873****Amount**

₹ 637654

Bank

MANAGER, SBI MANDI

Cheque-DD-No.

NIC-HP

B24I101873

e-Challan (IFMS)